बिधवा विवाह विवरण

अर्थात्

बिधवा विवाह की कर्त्तव्यता के विषय में युक्ति, शास्त्र
और क़ानून से विचार।

श्री राधाचरण गोस्वामी प्रणीत।

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ।
पञ्चस्वाप त्सु नारीणाम्पतिरन्यो विधीयते॥
(भगवान पराशरः)

BIDHVA VIVAH VIVARAN.

OR

A Treatise on widow marriage in accordance
with the authorities of Reason,
Shastras and Law.

BY

RADHA CHARAN GOSWAMI.

मथुरा

जमुना प्रिन्टिङ्ग वर्क्स में मुद्रित हुआ।

सन् १९२३ ई०.

(द्वितीय संस्करण १००० पुस्तक)

Price per copy
8 annas.

मूल्य प्रति पुस्तक
।।) आना।

प्रकाशकः—

श्री राधाचरण गोस्वामी,

श्री वृन्दाबन

(ज़िला–मथुरा ।)

मुद्रकः—

त्रैलोक्यनाथ शर्मा,

जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स,

मथुरा ।

उपक्रम ।

इस पुस्तक के बनाने का मूल कारण यह है कि आगरा नगर के ऐसिस्टैन्ट सर्जन, पीयूषपाणि डाक्टर मुकुन्दलाल साहब रायबहादुर की एक लड़की गतवत्सर दैवगति से बिधवा हो गई, जिसकी अवस्था केवल १० वर्ष मात्र है। डाक्टर साहब ने अपने उदार चित्त से उस निरपराधिनी बालिका का पुनर्विवाह करना चाहा। और अपनी जाति में इसके प्रचार के एक उदाहरण दिखलाने की इच्छा की, इस पर प्रथम आगरे के सम्पूर्ण माथुर कायस्थों से सभा करके सम्मति ली गई, तो सभों ने सम्मति दी, और अपने हस्ताक्षर कर दिये पर दो चार कुटिल महाशयों ने प्रगट में तो सम्मति देदी, परन्तु गुप्त रीति से बिरादरी वालों को बहकाते रहे! जिससे एक प्रकार की विकल्प सम्मति इस विषय में कायस्थों की रही! तब डाक्टर साहब ने पण्डित विद्यासागर के बिधवा विवाह विषयक ग्रन्थ का उर्दू अनुवाद प्रकाश किया, और सब को समझाया कि बिधवा विवाह शास्त्रीय है, पर इस पर भी कायस्थ महाशयों को संतोष न हुआ, और अब तक हठ पकड़े हुए हैं कि चाहे बिधवा विवाह शास्त्र सिद्ध हो, पर परम्परा से नहीं इस लिये इसका होना अन्याय है। कायस्थ जाति सुशिक्षित है इससे ऐसी आशा न थी, परन्तु स्त्रियों का दुर्भाग्य वहां भी आगे आया, और यह काम न होने दिया! यदिच हमारे डाक्टर साहब का विचार वैसाही दृढ़ है, पर इन लोगों की क़लई खुलगई कि कहां तक इनमें कपट भरा है! जब डाक्टर साहब के सद्विचार की सुगन्ध देश देशांतर में पहुंची, तो सच्चे देश हितैषी डाक्टर साहब के सहायक हुए, और उनको सब प्रकार की सहायता देने का प्रतिवचन दिया, मैं ने भी जो डाक्टर साहब के यश से परिचित था डाक्टर साहब के इस विचार की प्रशंसा कई हिन्दी पत्रों में लिखी, और बिधवा विवाह की आवश्यकता दिखलाई, बस मेरा इतना लिखना था कि कई महाशय मेरे ऊपर टूट पड़े। बिधवा विवाह और मेरे विषय कई मास तक घोर आन्दोलन हुआ, अन्त को मैंने उचित समझा कि अपने बिधवा विवाह के विचार को पुस्तक द्वारा प्रगट करूं, और इससे बिधवाओं का कुछ उपकार हो।

कोई बात हो बिना उद्योग किये प्रचलित नहीं होती। और यह भी नियम है

कि उसके विरोधी अनेक पुरुष होते हैं। पर यदि उद्योगियों का उद्योग प्रबल होता है तो विरोधियों का विरोध मिटकर उद्योग सफल होता है। इसके उदाहरण अनेक इतिहासों में पाये जाते हैं और प्रत्यक्ष में भी हम स्वामी दयायन्द के उद्योगों और विरोध का फल देख चुके हैं कि आज आर्यसमाज की कितनी उन्नति है। बिधवा विवाह के विषय में अब तक बहुत थोड़ा उद्योग हुआ है, उसमें भी मध्य देश में तो बिलकुल सन्नाटा है, यदि हमारे नवशिक्षित भाई मनुष्य जाति से सहानुभूति रखते हों, यदि उनके निकट बिधवाओं पर अत्याचार अन्याय समझा जाता हो, यदि देश के हित के लिये वह अपना कुछ कर्तव्य समझें, तो उनको सब से प्रथम बिधवाओं की सहायता करनी चाहिये। वह यह न समझें कि हमारे उद्यम निष्फल होंगे, अमेरिका से जिस प्रातः स्मरणीय महात्मा ने गुलामों का बेचना बंद किया था, भारतवर्ष से जिस महात्मा ने पशुओं की हिंसा उठाई थी, उन्होंने सब से प्रथम यह न समझा होगा कि हमारा उद्योग निष्फल होगा। उनका लक्ष्य अपने उद्योग की सफलता ही पर था, बस यदि उद्योग की सफलता के मर्म स्थान पर हमारी दृष्टि है तो फिर हमको उद्योग करना चाहिये, सफलता हमारे हाथ में है। यदि हमारे आगे बिधवाओं का दुख न मिटा, तो हमारे पिछले समय में अवश्य मिट जायगा। पर यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो इतना किया कराया उद्योग भी नष्ट होजायगा। हमारे भाइयों को संकोच, भय, और निंदा का ख्याल छोड़कर इसका उद्योग करना चाहिये, जगदीश्वर मनोर्थ पूर्ण करैगा। बस यह पुस्तक इसी उद्योग की एक शाखा है, इससे हमारे सब भाई बिधवाओं के दुःख का प्रमाण समझेंगे, और बिधवा विवाह शास्त्रीय है इसको भी जानैंगे।

बिधवा विवाह का विषय लेकर मैंने कई भव्य वृद्ध स्त्रियां और कई बिधवाओं से बात चीत की, तो उन्होंने लज्जा और भय से बड़े संकोच से कहा कि "हम से क्या पूछते हो, हम से इस विषय म पूछना वृथा है हम कुछ मुख से नहीं कह सक्तीं, यदि कहें तो बेमौत मारी जायें हमारी वह दशा है कि जैसा कोई मनुष्य फांसी दिया जायगा और उसके लिये यह भी हुक्म हो कि अपने फांसी दिये जाने के वास्ते रो भी न सके, और किसी से मदद भी न लेसके यदि रोवें और मदद लें तो फांसी के पहिले बेतों की मार खावें तो इस दशा में वे क्यों रोवें? और क्यों किसी से मदद लें, और क्यों [illegible] मार खावें! और क्यों दुहरी सज़ा भुगतें केवल

सिर नीचा करके फांसी पर चढ़ जांय, ईश्वर किसी ऐसे सुपुत्र को पैदा करे जो हम सब का दुःख मिटावे" इन की यह कातरोक्ति सुनकर मेरे नेत्रों में अश्रुभर आये, और तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि कुछ हो अपनी शक्तिभर इस का उद्योग करूंगा।

बिधवा विवाह के न करने से दस पन्द्रह जगह जो विषमय फल हुआ है और जिनको मैने अपनी आंखों से देखा है अपनी स्मृति पुस्तक (Note-Book) में लिख रक्खा है, उनका प्रकाश करना उचित नहीं समझता हूं यदि कोई विपक्ष वा सपक्ष उनका हाल जानना चाहें, तौ मैं उनको निज के तौर पर बतला सक्ता हूँ। और वह चरित्र गुप्त नहीं है, वरञ्च हज़ारों मनुष्य उनको जानते हैं, पर अब वह काल के गर्भ में लीन हो गये हैं, उनको फिर प्रगट करना केवल उनकी मृत निंदा को पुनर्जन्म देना है। उन चरित्रों के देखने से मुझे यहां तक बिधवा विवाह के उत्तम कहने में दृढ प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं, उनका कोई खण्डन नहीं कर सक्ता।

इस पुस्तक के प्रकाश करने के पहले मुझे एक और भय है कि मैं एक वैष्णव सम्प्रदाय का आचार्य हूँ, बिधवा विवाह के प्रचार करने से हमारे सम्प्रदायी मुझे भ्रष्ट न समझें, पर उन से प्रार्थना है कि मुझे अपने उत्तम मत में कुछ भी अश्रद्धा वा अविश्वास नहीं है, मैं अपने परम मान्य वैष्णव मत की वैसी ही सेवा करता हूँ। 'विवाह' आदि संस्कार वैष्णव धर्म से कुछ सम्बध नहीं रखते, यह स्मार्ताचार हैं उनके विषय विचार करने से वैष्णव धर्म का कुछ अपमान नहीं होता। वैष्णव धर्म और बिधवा विवाह अलग अलग विषय हैं। पर यदि स्मार्ताचारानुयायी हमारे और हिन्दू भाई रुष्ट हों तो उनसे निवेदन है कि मैं बिधवा विवाह को शास्त्रोक्त समझता हूँ इसी से बिधवा विवाह का पक्ष मुझे अभिमत है, यदि बिधवा विवाह को 'अशास्त्रोक्त' कोई महाशय सिद्ध कर दें, तो मैं इस को शास्त्रोक्त न कहूँगा। केवल 'लौकिक' मानूंगा यदि इस को लोक में भी निषिद्ध सिद्ध करदें तो फिर इसका आंदोलन छोड़ दूं। यहां आग्रह की बात नहीं है।

उपसंहार में पाठकों से प्रार्थना है कि निष्पक्ष हो कर पुस्तक देखें और मेरे दोष क्षमा करें।

वृन्दावन
अधिक चैत्र शुक्ल १ सम्वत् १९४५ } राधाचरण गोस्वामी।

निवेदन

जिन विद्वान् बुद्धिमान् ग्रन्थकार, पत्र सम्पादक महाशय, या और सर्व साध रण लोगों के निकट यह बिधवा-विवाह-विवरण ग्रन्थ पहुँचे, उन से प्रार्थना है कि प्रथम इसका आद्योपान्त अवलोकन करें, इसके अन्तर जब वह अपना आशय इस ग्रन्थके विषयमें कुछ स्थिर करें, तब मुझे उसकी सूचनादें। यदि इसकी समालोचना खण्डन मण्डन पुस्तक द्वारा प्रगट करें, यदि अपना विचार किसी समाचार पत्र द्वारा प्रकाश करें, यदि अपना अभिप्राय वक्तृता द्वारा किसी सभा में वर्णन करें वह सब जहां तक शीघ्र हो, मेरे पास भेज दें। मैं उनकी इस कृपा का परम कृतज्ञ हूंगा। इससे अधिक दूसरे संस्करण में इन सब अनुमतियों के विषय में जो उचित होगा, लिखा जायगा।

राधाचरण गोस्वामी।

वृन्दावन।

विधवा विवाह विवरण

प्रथम भाग

अनेक अनेक धन्यवाद है ! उस सर्व शक्तिमान् जगदीश्वर को जिसने अपनी अपरम्पार कृपा से इस भारतवर्ष में अंग्रजों के न्यायीराज्य को स्थापित किया, जिसके प्रताप से आज सिंह, और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, और निर्बल मनुष्य भी प्रबल का सामना कर सक्ता है। और जिसके राज्य में ढूंढ़ ढूंढ़ कर दुखियों का दुख दूर किया जाता है, और बुलाबुला कर हक़दारों को उनका हक दिया जाता है, और छांट २ कर अन्याय के कटीले वृक्ष उखाड़ कर न्याय के फलवान वृक्ष लगाये जाते हैं, हिन्दू विधवा स्त्रियों के ऊपर जो हजार वर्ष से अधिक हुए अन्याय का खड्ग स्वार्थी लोगों ने चला रक्खा था, उसको रोक कर उनकी जान बचाई गई और उनको अभय की शीतल छाया में आश्रय दिया गया, आज उसी राज्य के प्रताप से हम अपनी बहनों की ओर से दो बातें कहने की हिम्मत रखते हैं, यदि और किसी का राज्य होता तो हमारे लिये कोल्हू का चक्र मौजूद था, या हथकड़ी बेड़ी डालकर किसी पहाड़ की कन्दरा में जन्म भर के लिये कैद किये जाते। हे न्याय के धुरन्धरों ! हे धर्म के अवतारो ! हे परमेश्वर से डरनेवालो ! हे न्याय के सार ग्रहण करनेवालो ! हे दीन पर दया करनेवालो ! तनक कान लगाकर सुनो। घबड़ाओ मत। हास परिहास, आनन्द मंगल की कथायें तो बहुत सुनी होंगी, पर इस दुःख की कथा को तो सुनों। पशु पक्षियों के कष्ट देखकर तो तुम्हारा चित्त बहुत ही द्रवीभूत होता है, पर यह मनुष्य ! नहीं नहीं दिन रात मार खाने वाले और बुरा भला भोजन करने वाले पशु छि ! छि ! आठ पहर चौसठ घड़ी घर के पिजड़ों में बंद पक्षी। हाय ! हाय बोलने बतलाने में असमर्थ, अनेक दुःखों के भार से दबी पत्थर की प्रतिमाओं पर तो अपनी दया का थोड़ासा उद्रेक करो। हे हमारे प्यारे सत्यवादी हिंदुओ ! सत्य कहना क्या इन के ऊपर दया करना

इनको संतोष कराना इनका दुखः मिटाना आपके धर्म्म शास्त्रों में अधर्म्म लिखा है ? क्या शास्त्रों के ढेर के ढेर पत्रों के पलटने में प्रधान स्वार्थ में निष्णात, तुह्मारे पंडितों ने यही सिखाया है कि "न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति" और क्या यह नहीं सिखाया कि "जामयो यत्र शोचंति विनश्यत्याशुतत् कुलम" हमारी बहनों पर जो दुःख दुर्दशा, कष्ट, क्लेश, यंत्रणा, वेदना, विपत्ति, व्यथा, तुम्हारी कुलरीति, देशरीति, तुम्हारी अनरीति, तुम्हारी स्वार्थपरता आदि से वर्त्तमान हैं, उन सब को वर्णन करने के लिये यदि व्यासजी महाराज (जो सुनते हैं कि उत्तराखण्ड में तप करते हैं) फिर कमर बांधे, वा शेष जी महाराज अपने एक सहस्र मुख से वर्णन करें वा कविराज कालिदास फिर स्वर्ग से उतरें, तो कुछ हो सकता है, मैं एक असमर्थ, असहाय, मतिहीन, दीन कुछ शक्ति नहीं रखता, न मेरा कथन आप के सदैव वेदध्वनि, पुराण, पाठ, रागरंग, के अभ्यासी, कर्ण आकर्षण कर सकता है, या घोर निद्रा में सोये हुए आप लागों को मेरी छोटी पुस्तक पुकार कर जगा सकती है न मैं आशा करता हूं, कि जो दुःख समुद्र मेरे हृदय में भरा है उसकी तरंगे आप लोगों को अच्छी लगेंगी, इस से हिन्दू स्त्रियों के सर्व साधारण दुःखों को एक तरफ छोड़ और उस तरफ से पत्थर की छाती बांध कर, केवल बाल बिधवा जो इस समय दुःख समुद्रके सब से नीचे की तह में पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर लाज के जहाजों की श्रेणी खड़ी हुई है, कि जिन पर लोक निन्दा, दुर्वाक्य, कुल कलङ्क, जातिभ्रंश आदि की भारी २ तोपें, और पूरा मैगज़ीन लदा हुआ है, जिनकी कमान परम निर्दय पंडित, और दुष्ट जाति के चौधरी लोगों के हाथ में है, जिन बिचारियों को एक तरफ से भारी भारी कामदेव के उपद्रवों के वक्र, नक्र, दूसरी तरफ से गुरुजनों के दुर्वाक्यों के भयंकर अजगर, तीसरी तरफ से नाना प्रकार के दुःख दुर्दशाओं के कठोर कच्छ मच्छ काट काट कर खाये जाते हैं. जिनके उस अपार दुःख सागर से निकलने को न कोई रास्ता, न कोई अवलम्ब, न कोई नौका, न कोई वीर उद्धार करनेवाला मौजूद है। और यदि कोई कुछ उपाय करे, तो उस तोपखाने से उड़ा दिया जाय उन बिचारी अबला, दुर्बला, अभागिनी, दयनीय, जिनका समूह का समूह इस अकाल मृत्यु—वा राक्षस को भी दया दिलाने वाली मृत्यु-या नरक के ले जाने वाली मृत्यु से नष्ट हुआ जाता है, उनका दुःख निर्भय होकर वर्णन करूं, और यदि इसमें कुछ हानि भी हो तो उसे लाभ समझूं, यदि निन्दा भी हो तो प्रशंसा जानूं

और यहां तक कि आप लोग रुष्ट भी हों तो भी सत्य कहने से बाज़ न आऊं।

क्या मुझे बाल बिधवाओं के दुःख दिखलाने के लिये कोई तस्वीर खींचनी होगी ? क्या दुःख के समझाने के लिये कुछ प्रमाण देने होंगे ? क्या उन अभागियों के साथ सहानुभूति प्रकाश करने के लिये सकरुण भाषा अवलम्बन करनी होगी ? मैं जानता हूं कि कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे भाई लोग तनक आंख खोलैं, थोड़ा सा अपने कर्णों को परिश्रम दें, ज़रासी बुद्धि को काम में लावैं, तो हिन्दुस्तान के घर घर में उन अभागियों की दुःख से भरी हुई मूर्ति देख सक्ते हैं। उनका दुःख यद्दिच लज्जा के वश वे साफ़ साफ़ नहीं कह सक्ती, पर आप सुनें, या उसका अनुभव करना चाहै, तो हिन्दुस्तान के हर दरो दीवार से इसी दुःख का स्यापा सुन सके हैं ? और मैं जानता हूं कि जो मनुष्य हैं, जिन्हों ने कुछ पढ़ा लिखा है, जिनको अपने पराये दुःख का अनुभव है, वह इस सहानुभूति के लिये स्वयं आकुल हैं, पर जो आकार में मनुष्य और प्रकृति में राक्षस, या पढ़े लिखे सब कुछ पर विद्या का प्रभाव उनमें कुछ नहीं हुआ, वह न कुछ देख सक्के, न सुन सक्के, न सहायता दे सक्के हैं। अस्तु दुःख के लिखने के पाहिले दुःख का कारण और फिर उसका प्रतीकार लिखना चाहिये।

बाल बिधवाओं के दुःख के निमित्त कारणों में प्रथम कारण उनके माता पिता, और द्वितीय कारण हमारे समाज के चालक वा पण्डित लोग हैं। माता पिता जिनके बड़े २ सभ्य देशों से लेकर असभ्य देशों तक यह नियम है कि अपनी संतान का पालन पोषण करके उनके जीवन निर्वाह का उपाय करें हिदुस्तान में इसकी बड़ी कुपृथा है। हमारे लोग पुत्र को तो संतान मानते हैं, क्योंकि वह उनको पुन्नाम नरक से त्राण करने वाला, उनको पिण्ड देने वाला, उनका बुढ़ापे में सुख देनेवाला होता है, पर लड़की को संतान क्या एक अपने ऊपर ग़ज़ब समझते हैं ? क्योंकि लड़की अपने विवाह में अधिक खर्च कराती, उस में उनका नाम नहीं चलता, लड़की के सबब किसी को समधी किसी को 'दामाद' बनाना पडता, लडकी के विवाह के पीछे उसके बहुत से कारज करने पड़ते, और इन खर्चों के बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता, बरञ्च बरबाद हो जाते हैं। इन्हीं बहुत सी बातों से चिढ़कर इस देश के अनेक क्षत्री अपनी लडकियों के होते ही गला घोंट कर, वा खाट के पाए से पेट दबाकर मार डालते थे, और अपने राक्षस स्वभाव को

कृतार्थ कर अयुत वर्षों तक नरक भोगते थे ! और कदाचित् इसी पाप से आज भारतवर्ष में उनकी यह दशा है कि जो लाखों मनुष्यों पर राज करते थे, आज उन्हें भीख मांगी नहीं मिलती ! जो किसी दिन हाथियों पर चढ़ते थे, आज अंग्रेजों की गाड़ियों के आगे दौड़ते फिरते हैं। जिनके आगे यूनान तक के बादशाहों ने सिर नवाया, एक सामान्य एजेन्ट के हाथ के खिलौने बन रहे हैं ! धन्यवाद है हमारी बृटिश गवर्नमेन्ट को कि उसने इस कुपृथा के दूर करने के लिये अपने राज्य में एक बड़ा भारी महकमा स्थापित किया, और अब ऐसी निरपराधिनी बालिका नहीं मारी जातीं, बाकी देशी राज्यों में इसका वही हाल है । जिस पर गवर्नमेन्ट की हम विशेष दृष्टि दिलाते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्राण रक्षा (जहां जहां श्रीमती महारानी का वा उस के सुहृद राज्यों का राज्य है) प्रधान कर्तव्य है। तात्पर्य्य यह कि यदि लड़कियों को हम लोग संतान न समझें, यदि हमारा उन में स्नेह हो यदि हम उन के बहुत दिन जीती रहने की इच्छा करें, यदि हमारा कोई लौकिक वा पारलौकिक कार्य लड़कियों के द्वारा बने, तो अवश्य हम उन के सुख को चिन्ता करते। जब कि ऐसा नहीं है तो माता पिता क्यों उनके सुख की चिन्ता करें ? माता पिताओं की ओर से जो दुख की श्रेणी लड़का लड़कियों के ऊपर डाली गई हैं उस में पहिला नम्बर बाल विवाह का है। यह बाल विवाह न केवल उन के लिये दुखदाई है, बरञ्च देश की उन्नति के वृक्ष तक इस ने दंश पहुंचाया है बाल विवाह के निषेध में अनेक पुस्तकें और पत्र लिखे गये, इस के आन्दोलन में देश व्याप्त हो गया गवर्नमेन्ट के निकट तक इसकी चर्चा पहुंची, पर हिन्दुस्तान और हिन्दू जाति के ऐसे दुर्भाग्य हैं, कि बाल विवाह का वृक्ष यथावत् विद्यमान है उसकी शाखा प्रशाखा पत्र प्रति दिन बढ़ते जाते हैं, उसके कुफल जो प्रति वर्ष के साहे के दिनों में फलते हैं, उनको खाकर हजारों बालक, बालिका नष्ट होते जाते हैं। पर हां विवेक और विज्ञान का ऐसा समुद्र नहीं उमड़ता, कि इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर सप्त समुद्र पार बहा ले जाय, इस पर विद्या बुद्धि की तीक्ष्ण बिजली ऐसे वेग से नहीं गिरती कि इस के टुकड़े टुकड़े हो जायें इसमें देश उपकार की तुरन्त दावानल क्यों नहीं बड़ी तेजी से लगती कि यह भस्म हो जाय ? इस बाल विवाह के विषमय फल जो सर्व साधारण है उनको हम यदि इस समय वर्णन करें तो यह पुस्तक इसी विषय की होजाय, और बाल विधवाओं के दुख का

श्रोत हम से दूर ही रहजाय, इससे हम केवल उसी दुष्यपरिणाम का वर्णन करते हैं जो बाल बिधवाओं से सम्पर्क रखता है। इङ्गलेण्ड आदि सभ्य देशों के लोग जब कभी "बाल विधवा" शब्द सुनते हैं तो बहुत हंसते हैं, और संदेह करते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि हम लोग 'आकाश कुसुम' वा 'शशश्टङ्ग' वा 'वंध्या पुत्र' आदि शब्दों पर —या हमारे विपक्षी 'विधवा विवाह' शब्द पर' कहकहा मारते हैं! और सच भी है कि जिन देशों में तरुण होने पर परस्पर प्रीत के प्रसंग से वर कन्या दोनों मन मिलाकर विवाह करते हैं, वहां बाल विवाह ही नहीं तब फिर बाल बिधवा कहां? जहां १८-१९ वर्ष की कन्या और २२-२३ वर्ष के वर का विवाह होता है, वहां के लोग क्या जानें कि हिंदुस्तान में हिन्दुओं में ८-६ वर्ष की कन्या, और १०-११ वर्ष के वर का विवाह होता है। यह तो हमीं लोग जानते हैं क्या रोज़ भोगते हैं कि लड़का लड़की बोलने नहीं लगा कि सगाई की फ़िक्र पड़ी! और जहां उनकी ७-८ वर्ष की अवस्था टली फिर तो विवाह न करना मानों अप्रतिष्ठा कराना है, और जिस घर में १३-१४ वर्ष के लड़का लड़कियों का संयोग न हो गया, वह तो 'कम्बख़्त' घर है। बहुधा लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां गुड़ियों का विवाह करती हैं, या बड़े घर की पुण्यात्मा स्त्रियां तुलसी शालिग्राम का विवाह करती हैं, या कोई २ बागों का बिवाह करते हैं, बस इसी प्रकार का हमारे यहां बाल विवाह है। लड़का जानता है कि जैसा मेरा आज तक और और तरह का लाड़ प्यार हुआ, यह भी एक वैसा ही तमाशा है। लड़की गहने कपड़े की खुशी में खुश होती है, मां बाप दोनों की छोटी छोटी जोड़ी देखकर प्रसन्न होते हैं, इन दोनों वर कन्या में पति पत्नी भाव नहीं रहता, इनमें केवल यही भाव रहता है, जैसा परस्पर साधारण लड़का लड़कियों में रहता है। न आपस में लज्जा न प्रेम होता है, ऐसे अज्ञान बालक कोई अपराध भी करें, तो दयालु जज उन्हें छोड़ देगा, और ऐसे बालकों से यदि पूछा भी जाय, कि तुम्हारा विवाह जो हुआ, सो उससे क्या प्रयोजन है, किस लिये हुआ, तुम आपस में एक दूसरे को पसन्द करते हो या नहीं? तो इसका वे कुछ भी उत्तर नहीं देंगे! जो पवित्र भाव बालक बालिकाओं के हृदय में स्वतः सिद्ध होता है, जिसकी योगी जन भी इच्छा करते हैं, जब उस पवित्र भाव को कोई दुष्ट बहुत यत्न से अपने वागजाल से कलुषित करे, और उन्हें समझावे तो कदाचित वह समझें

क्या इस विवाह से यह समझा जायगा कि यह विवाह वर कन्या ने अपने आप किया ! या यह कहा जायगा कि इस अज्ञान अवस्था में जो विवाह के मंत्र पुरोहितों ने अपने आप पढ़ दिये, उनकी पाबन्दी इन बालकों पर हो गई ! या जो जोड़ी मां बाप ने आप पसन्द करके, या जन्म पत्री मिला कर मिला दी या बालकों के गले बांध दी वह बंध गई ? न शास्त्र में इसकी कोई विधि है न कानून, और न न्याय में ऐसा कोई मां बाप का हक़ है, हां अन्ध परम्परा की दूसरी बात है। जब ऐसा कच्चा, आधा, अनुचित, विवाह हो गया, और उसके ५, ६ महीने या वर्ष दिन पीछे कन्या बिधवा हो गई तो इसका दण्ड क्या कन्या को होना चाहिये ? कि न वह अच्छा खाय, न पहिने न सकामा होने पर भी फिर विवाह करे इसका दण्ड कन्या को कभी नहीं हो सकता। क्यों कि उसने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया ज़बरदस्ती उससे कराया गया। यदि हम हिन्दू लोगों के न्याय में कन्या को दण्ड होना ही उचित है, तो कन्या के साथ ही उस के माता, पिता, सास, ससुर, दोनों कुल के पुरोहितों को भी काला पानी होना चाहिये, क्यों कि इन्हीं सब ने मिल कर उसे आजन्म दुःख में डाला। यदि कहो कि उनको यह क्या मालूम था कि ऐसा होगा, तो पूछना चाहिये कि यदि कोई मनुष्य एक कांच की चिमनी को पहाड़ पर से गेरे, या जहाज़ की छत से एक फूल समुद्र में डाले, या जान बूझ कर रुई के ढेर में अग्नि दाब दे, तो क्या नहीं कहा जायगा कि उसका उद्देश चिमनी तोड़ने, फूल बहाने, और अग्नि लगाने का था ? क्या वह नहीं जानते कि बालकों का जीवन कैसा कोमल होता है ? क्या वह अपने और पड़ोसियों के घर में नहीं देख चुके कि बालक कितने अधिक मरते हैं ? क्या उसने नहीं देखा कि उसकी आंखों के आगे उसकी बिरादरी वा ग़ैर बिरादरी में कितनी बाल विधवायें बैठी हैं ? क्या उसने बाल विवाह के निषेध की दुन्दुभी ध्वनि नहीं सुनी ? उसे किस शास्त्र वा कानून ने यह अधिकार दिया कि वह ऐसे दूध पीते बच्चों का विवाह कर दें ? उन्हें किस शास्त्र वा क़ानून का ऐसा क़तई हुक्म है कि वह बिना लड़का या लड़की की राय के आप विवाह करदें ? उन्हें किस गुरू ने यह बतलाया था कि जन्म पत्री मिलाकर आंख बन्द करके विवाह करदें ? और वह जन्मपत्री किस २ धूर्त ने मिलाई थी कि जिससे छठे महीने कन्या विधवा हो जाय ? यदि यह परमेश्वर की इच्छा थी तो जिस समय विवाह में इन धूर्तों ने खूब माल उड़ाया था

उस समय क्यों नहीं सब को परमेश्वर की इच्छा बतला दी जो तुम्हारे पास परमेश्वर का तार पहुंचा ? और यदि जन्म पत्री का फलादेश, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, तो उसे कैरोसिन आइल में डालकर फूंक देना चाहिये ! उस पर कभी विश्वास न करना चाहिये ! शास्त्र और न्याय सब तरह से इसका दण्ड माता पिता, सास, ससुर और पुरोहितों को होना चाहिये, जिन्होंने कि इस बेजान बच्चे को आग में डाल दिया । जिन्होंने इस निरपराध बालक का जन्म भर का सुख अपने स्वार्थ, अज्ञान, और धूर्तता से नष्ट कर डाला । यदि कोई कहे कि माता पिता को अपनी संतान पर अधिकार है कि जो चाहें सो करें, तो उनको समझना चाहिये कि वह अन्धेर अन्याय और असभ्यता का समय गया, इस समय तो अपने शरीर पर भी आपको अधिकार नहीं । थोड़े दिन हुए जब बंगालियों में यह रीति थी कि अपने छोटे लड़के को गंगा सागर में बहा देते थे, अब क्यों नहीं बहा सके ? सती की कुरीति का क्या हुआ ? हिमालय में गलने, जगन्नाथ जी के रथ के पहिया के नीचे गिरकर मरने का क्या प्रबंध है ? प्रकृति इस बात की साक्षी देती है, न्याय इस बात में बल देता है, दया इस विषय में महा व्याकुल है, कि ऐसी बाल बिधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिये, इन निरपराध बच्चों ने किसी का कुछ अपराध नहीं किया, इन्हों ने किसी घरवाले को विष नहीं दिया, इन्हों ने उस वर को मार नहीं डाला, इनके विवाह मात्र करने, और सात फेरी फिरने से यह पत्थर की नहीं हो गईं, या मर नहीं गईं, जो विवाह न किया जाय ! विवाह का प्रयोजन जो व्यभिचार से बचने का है, वह चरितार्थ नहीं हुआ । इनकी उस अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके लिये यह विवाह किया गया था । इसमें अनेक मनुष्यों को अनेक आशङ्का हैं उनका क्रमशः खण्डन करते हैं ।

प्रथम--बिधवाओं का विवाह शास्त्रोक्त नहीं है । बिधवाओं का विवाह शास्त्रोक्त है, इसका विचार करने के लिये एक स्वतंत्र प्रकरण हमने रक्खा है, इस आशङ्का की तृप्ति उस प्रकरण के पाठ से होगी ।

द्वितीय--बिधवाओं को ब्रह्मचारिणी रखने से उन्हे पुण्य है यदि ब्रह्मचारिणी न होंगी तो पाप । यह तो हम भी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य्य पुण्य है, पर जब ब्रह्मचर्य्य पालन बिधवा कर सकें, बिधवाओं को ब्रह्मचर्य्य पालन करने की आज्ञा अवश्य है । पर कैसी बिधवायें ब्रह्मचर्य्य पालन कर सक्ती हैं ? जिनके दो चार पुत्र हों,

अवस्था प्रौढ़ हो, वह ब्रह्मचर्य्य पालन कर सक्ती हैं न कि वह बालिका जिनके दूध के दांत तक नहीं उखड़े, जिनको शरीर का संधान तक नहीं, कि हम पुरुष हैं अथवा स्त्री जिन्होंने अभी संसार का सुख दुःख का कुछ भी नहीं जाना। जो अब तक गुड़िया गुड्डों से खेलती रहीं, वह ब्रह्मचर्य्य पालन कर सक्ती हैं। जो बालिकायें सुन्दर वस्त्र आभूषण पहिनकर आप प्रसन्न होतीं और अपने घरवालों के नेत्रों को सुख देतीं वह चूड़ी बिछुआ उतार कर एक सफ़ेद धोती पहन कर अपने घर माता पिता के नेत्रों को अश्रुओं से भरे! जो सौभाग्य के चिन्ह काजल बेंदी, चोटी आदि से अपने पति का गर्व करतीं, वह अपनी स्निग्ध केश राशि को मुड़ाकर वैधव्य बृत का पालन करें! जो अपनी अवस्था पर पहुंचकर अपने प्यारे पति के साथ दिन रात आनन्द मंगल में व्यतीत करतीं, वह अब रो पीट कर काल-क्षेप करें, और दोनों हाथों से मौत को बुलावें! जो यह किसी दिन अपने सत्स्व-भाव, और सुचरित्र से माता पिता को अत्यन्त प्यारी और पति के हृदय की बल्लभा होतीं माता पिता उसके मरने की सांझ सवेरे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विशेष क्या सकलैश्वर्य्य भागिनी होकर भी योगिनी बनें? मनुष्य होकर भी पशु जीवन से दिन काटें, कमल के कुसुम से भी कोमल होकर वज्र का प्रहार सहें? और नव-नीत से अधिक मृदु प्रतिमा भी घोर अग्नि की ज्वाला में डाल दी जायें? विधाता की सृष्टि में बहुधा अविवेक देखा जाता है, पर मनुष्य की सृष्टि में ऐसा अविवेक सह्य नहीं होता, यदि इनके द्वारा ब्रह्मचर्य्य पालन का संभव होता तो हम बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते कि बाल बिधवा ब्रह्मचारिणी रहें, जब कि इनसे इतना बड़ा व्रत पालन नहीं हो सका, तो इनके ऊपर किसी को अधिकार नहीं है, कि ज़बरदस्ती की जाय! जब तक इनकी बाल्य अवस्था रहती, और यह नहीं जानती कि पुरुष का क्या कर्तव्य है और स्त्री का क्या कर्त्तव्य है तब तक तो इनके हृदय में कोई भाव उदय नहीं होता, पर जब इनके अङ्गों में तारुण्य के साथ काम का बल प्रवेश करता है, जब कि स्वाभाविक ही वयस्सन्धि के साथ मति में भी सन्धि-राज्य होता है जब कि बड़े वेग से काम के बाणों की वर्षा होती है, जब कि सहज ही रूप और वय दोनों दूसरे का क्या अपने भी मन को मोहन करते हैं जब कि वह सहेली जिनके साथ बाल्य वय से तब तक खेलती रहीं, जिनका खेल कूद, खाना, पीना, हँसी दिल्लगी पहरने ओढ़ने सुख दुःख में बराबर हिस्सा

रहा, उनमें से एक २ का विवाह और गौना आरम्भ हुआ, और वह एक २ बड़े हाव, भाव, और लाड़, चाव, से सज धज कर गर्व के साथ ससुराल को गईं मानों नरक से स्वर्ग को गईं और वहां उन्होंने नई दुनियां देखी, नई चित्रशाला देखी नवीन पति का प्रेम देखा, और दिन दूने रात चौगुने नवीन नवीन उत्सवोंमें मग्न रहीं, यहां तक कि कब सूर्य उदय होता है, और कब अस्त होता है, इसकी ख़बर नहीं, जिनके लिये मीर हसन का यह शेर याद आता है ॥

बरस पन्दरह या कि सोलह का सिन।

जवानी की रातें मुरादों के दिन।

जबकि उन के अवस्थोचित सुख सम्पत्तिका मध्य सूर्य्य कहना चाहिये, प्रसंग वश अपने अपने पिता के घरों को आदर और ऐश्वर्य से लौटीं, और सब इकट्ठी होकर अपनी प्यारी बाल विधवा से बड़े नख़रों के साथ मिलीं, और एकान्त में सब की गोष्ठी हुई तो विचारी बाल विधवा उस की चमक दमक से दब कर उसके सौभाग्य से हीन प्रभा होकर उससे क्या कह सकती है! इधर इस विचारी ने इतने दिनों में जो नई क़ैद भोगी हर किसी के शुभ काज में जाने से रुकी, नया नया वस्त्र आभूषण तो दर किनार पुरानों को भी नहीं पहन सकी, काजल, बिन्दा, सिर, चोटी, मिस्सी, तेल, फुलेल, आदि की रोक से वह सुवर्ण सा अङ्ग मिट्टी में मिलगया जो कोई अदना आला घर में आवे, तो वह इसी के कर्मों के दोष से इसे विधवा बतलावे उधर पति के घर में बेक़दरी इधर पिता के घर में निरादर, न खाने पीने का सुख, न बोलने बतलाने का सुख, यदि कुछ भी अपने शारीरिक सुख का उपाय करे, तो पड़ौसिनें चबाव करें, यदि कहीं काम से भी ऊपर नीचे चढ़े, तो मा, बाप, भाई, भौजाई, सन्देह करें, और निगहबानी के लिये "औरत संतिरी" मुक़र्रर रहें। बस ऐसे समय में विचारी विधवा चुप रह जाती हैं, और उसकी सहेलियां हंस हंस कर अपना जिक्र छेड़ती हैं। विशेषतः 'रसोद्गम्' करने की (जो नवीन नायक नायिकाओं का स्वाभाविक धर्म है,) बड़ी ही अपनी सखियों के आगे इच्छा रहती हैं, एक एक बात की चार चार बातें बनाकर कहती हैं, तब इस विधवा के कोमल हृदय पर कुल्हाड़ी चलती हैं, उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसकी बुद्धि कबूतरी की भांति इधर उधर घूमकर फिर मूर्छित हो जाती है, उसका मन 'कन कन' होकर आशा शून्य आकाश में उड़ जाता

है और चित्त का उस समय इस उद्वेग के समुद्रमें पता नहीं लगता, लाचार बिचारी अन्तःकरण के क्लेशों को न सहकर उस गोष्ठी से उठ आती है, और एकान्त में जाकर बैठती और फिर अश्रुओं के प्रवाह के प्रवाह बह निकलते हैं, और अपने ऊपर हज़ारों आक्षेप करती है पिता माता की बुद्धि को झीखती है, अपने दुःखों को विचारती है, और अपने और अपनी सहेलियों के सौभाग्य दुर्भाग्य की तुलना करती है, इस कसा कसी में अपने प्राण तक छोड़ने की चेष्टा करती है, यदि वह बालक नहीं तो ऐसा करना कुछ भी कठिन नहीं है। हा! क्या इस बाल बिधवा के दुःखाश्रुओं के सहित हमारे धर्म मूर्त्ति धर्मावतार अश्रु बहावेंगे हा! क्या इन अश्रुओं के प्रवाह से भीगी हुई भूमि को कभी हमारे देश हितैषी लोग देखेंगे? हा! क्या इस दीन हीन मूर्छिता दैवाक्ष छिन्न हृदया, मृगी समान बाल बिधवा के ऊपर वज्र हृदय, निष्ठुर, पापिष्ठ, बधिक जन दया न करेंगे? और क्या इसी के प्राणों को नाश कर अपना पारण करेंगे?

ऐसे अनेक अनेक प्रकारों से बाल बिधवा के हृदय में कामदेव का राज्य होता है, फिर तो उसे एक काम की बीमारी हो जाती है, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते, इसी का ध्यान रहता है काम का ताप उस के हृदय में घर कर लेता है जो हालत तपेदिक़ की बीमारी वाले की होती है वही दशा इसकी हो जाती है। जब अपनी बहन, भावज, सखी, सहेलियों के गृहरहस्य देखती है, जब रात्रि को इसके भाई, भौजाई, या देवर देवरानी, जेठ जेठानी, घर के चारों तरफ़ अपने अपने चौवारों के किवाड़ लगा कर आनन्द से शयन करते हैं, कहीं, कहीं, बेशर्म माता पिता वा सास ससुर भी उससे आंखें चुरा कर अपने कोठे में जा छिपते हैं, और यह बेचारी किसी मैले कुचैले घरमें अपनी टहलनियों के साथ पड़ी रहती है, जब अर्द्ध रात्रि के समय अचानक आंखें खुल जाती हैं, तब इस के हृदय में काम का "ज्वारभाटा" उठता है, उसमें इसका चित्त बहा बहा फिरता है, उसमें जो दुःख के उच्छ्वास उठते हैं, वह भारतवर्ष के भस्म करने को कम नहीं हैं। सारी रात उसे तारे गिनते और रोते पीटते बीतती है, उस समय न कुल की लज्जा सहायता करती है, न माता पिताकी प्रतिष्ठा उसको समझाती है, न ब्रह्मचर्य के व्रत का अदिष्ट फल उसे सहारा देता है, इसी प्रकार जब कभी भाई बिरादरी में ब्याह शादी होती है, और इसे लाचारी से वहां जाना पड़ता है, रतजगे की रातों में

घर की क़ैद से छूट कर सब इकट्ठी होती हैं, मज़े में निश्चिन्ताई से गीत गाने की ठहरती है, खूब सज धज कर चौबारों में अदा से बैठती हैं, पंचम सुर की चढ़ी हुई ढोलकी पर थाप पड़ती है, साथही सधे हुए मंजीरों की लयदारी उठती है, और दो चार सुन्दरी झील के झीने सुरों में तानें उड़ाती हैं, और कोई परम सुन्दरी नख शिख से सज्जित हो नृत्य करने को खड़ी होती है, और अपने मधुर स्वर से रस के गीत गाती, और इस इन्द्र के अखाड़े में बिजली की भांति चमक कर सम के ऊपर नूपुरों की ध्वनि के साथ जब ठोकरें मारतीं, और कामदेव का एक छत्र राज उसमें छा जाता, कि यदि अस्सी बरस का डोकरा भी हो तो उस को अपना चित्त सम्भालना कठिन हो जाता है, तब बिचारी बाल विधवा की क्या दशा होती है, एक एक तान पर उसका चित्त कोसों उड़ता है। कभी विरह के गीत उसकी अवस्था के अनुकूल हो उसे रुलाते, कभी संयोग के गीत उसे उन्मत्त कर देते, कभी प्रेम के गीत उसकी कामाग्नि में घृत होते, कभी नायक नायकाओं के केलि कथा के गीत उसके कटे घावों पर नमक होजाते हैं। हाय! हाय! इन घोर दुःख और मर्म की वेदना सहने के लिये बिधवाओं का हृदय ही बनाया गया और ऐसे ज़हर भरे बाणों के मारने के लिये बिधवाही निशाना बनाई गयीं। यह ऐसे मौक़े और काम के आक्रमण करने के मैदान हैं, कि इनसे बाल बिधवा का बचना परमेश्वर ही के हाथ है। जब काम की पीड़ा का पूर्ण प्रभाव बाल बिधवा-के अङ्ग पर चला गया, तब उनके मारने के लिये नित्य ही एक न एक आफ़त बनी रहती है। जब शरद ऋतु आई, रात्रि को स्वच्छ चांदनी छिटकी, निर्मल आकाश में तारागण शोभायमान होने लगे, शीतल मंद सुगन्ध वायु चलने लगी, बिधवा के लिये मरने का सामान होगया,। जाड़ों में बड़ी बड़ी रातें होतीं हैं सब कोई गरम वस्त्र पहन गरम भोजन करते हैं, सुन्दर गुदगुदे बिछौनों पर गर्माई में सोते हैं बिचारी विधवा अकेली शय्या पर रो रो कर उसे ठंढी करतीं और माघ पौष की रात्रि उसे काल रात्रि हीजाती है, वसंत में यदि कहीं बाग़ बग़ीचों में जाने का अवसर हुआ तो वन की शोभा, कोकिल का कण्ठ बसंत की वायु भूत होकर चिमट जाते हैं। गर्मियों की दुपहरी में सब तरावट में सोते हैं, पर इनके लिये वह महा ज्वाला फैलाती है, काटे से नहीं कटतीं, ख़ैर और ऋतु तो जैसे तैसे बीत जाती हैं पर वर्षा ऋतु तो विधवाओं के लिये महा प्रलय का सामान करके आती है। जब

आकाश में चारों ओर काली काली घटायें उठती हैं, बिजली चमकती है, मेघ बड़े मंद मधुर स्वर से बरसता है, पुरवाई पवन चलती है, कोकिला कूकती है, मेघ गरजता है, मोर कुहकते हैं, झड़ी लग रहीं हैं, अन्धकार चारों दिशाओं में छा रहा है, धुरवा पड़ रहे हैं, सुन्दरीगण लाल, हरे, जंगली, कपूरी, बसन पहन पहन कर अपने अपने पतियों के साथ वर्षा का सुख लूट रही हैं, पाड़ परोस घर बाहर झूलों के गीतों की आवाज़ें घुमड़ रहीं हैं, बाग़ बग़ीचों में हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, उस समय बाल विधवाओं को जो दुःख और ज्वाला उठती है, जो काम के तीक्ष्ण बाणों की उन पर वर्षा होती है, जो विरह की उन पर बिजली गिरती है उसका क्लेश उन्हीं का जी जानता है, यदि इस दुःख के बदले उन्हें समुद्र में डुबा दिया जाय, तो वह पसन्द करेंगी ! यदि उन्हें पहाड़ पर से गेर दिया जाय, तो उफ़ न करें ! और यदि सब विधवाओं को जलती आग में भी फूंक दिया जाय तो वह तयार हैं पर वर्षा की विपत्ति वह नहीं सह सक्तीं ! विशेषतः जिस समय रात्रि में आकाश में केवल काला रंग ही रह जाता है, बिजली की चमक और बादल की तड़प के सिवाय, और कुछ शोभ नहीं करता, वृष्टि पृथ्वी के निमग्न करने का संकल्प करके दूना चौगुना ज़ोर करती है, झींगुरों की झनकार, और मेंढकों की टरटर, पपीहों की पी, पी, ध्वनि चतुर्दिक व्याप्त होजाती है, जुगुनुओं का समूह इधर से उधर उड़ता फिरता है, कामदेव के चक्रवर्ती राज्य की त्रिभुवन में मुनादी फिर जाती है, उस समय बिचारी बिधवा की क्या गिनती है, जो अपना धैर्य रख सके । काम के प्रबल वेग से आक्रान्त होकर दुःख समुद्र में न गिरे ! वर्षा के बुझे हुए बाणों से मूर्छित न होजायें ! और चिर संचित वैधव्य वेदना, पति विरह आदि अतुण अस्त्रों की तीक्ष्ण धारों से उनका प्राणान्त न होजाय ! यदि इस समय शत्रु भी इसकी विकलता देखे तो विकल होजाये । दुष्ट नर घातक भी ऐसे कठिन काल में रोने लगे और यमराज भी इन पर दया करें विशेष क्या परम प्रचण्ड काल भी इन्हें जल हीन मीन के समान तड़पती देखकर अपनी गोद में उठाले ! हाहन्त !! हाहन्त !!! इस दुःख का पारावार नहीं ! इस महा महा अनर्थ का कोई प्रतिकार नहीं !

जब एक बिधवा के ऊपर अनेक आफ़तों की चढ़ाई हो, जब उसे काम की निरन्तर पीड़ा हो, जब उसके बचाने का उसके पास कुछ भी सामान नहीं है, तब

यह कहना कि विधवायें खुशी से ब्रह्मचारिणी रहसक्ती हैं, एक मिथ्या है। उन को ब्रह्मचारिणी रखने के लिये केवल आप के पास ज़ोर है, ज़ोर से आप उन्हें ब्रह्मचारिणी क्या खाने को भी न दीजिये, तब भी वे दो चार दिन जीती रहेंगी। विधवाओं को जो सती करने की रिवाज थी, वह भी ज़ोरसे थी, पर ज़ोर और चीज़ है और इंसाफ़ और चीज़ है। भला जो ऋषि मुनि वर्षों तक तप करते रहे, बन में कन्दमूल या पवन भक्षण कर जीवन धारण करते थे, एकान्त में समाधि में लीन थे, वह बृद्ध होकर सतयुग में भी काम को अपने विद्या, बुद्धि विवेक के बलसे न रोक सके, तब विचारी निरक्षर घर में क़ैद, काम के नित्य नवीन वेगों से आक्रान्त होकर युवती विधवायें कलियुग में काम दमन कर सक्ती हैं ? लोगों ने कथा में सुना होगा कि विश्वामित्र जी तप करते थे सो एक अप्सरा को देखकर भ्रष्ट हुए और,जब अप्सरा स्वर्ग को गई तो उस के साथ आपभी कुत्ता बनकर इन्द्र की सभातक पहुंचे। पराशर जी विचारे बृद्ध ऋषि मार्ग में नदी उतरते समय एक मल्लाह की कन्या को देखकर ऐसे व्याकुल हुए कि उसी समय कुहल डालकर उस से आपने संग किया। सौभरि ऋषि जो तप करते थे जल मे मछलियों को क्रीड़ा करते देख काम से ऐसे पीड़ित हुए कि झट पचास विवाह किये। और इस समय के बड़े बड़े पोथा धारी पण्डित, और माला धारी महन्त वा रंगे कपड़े के सन्यासियों को क्या दशा कही जाय जिस के प्रमाण लिखने की यहां कुछ ज़रूरत नहीं, प्रत्येक ग्राम वा क़सबा और शहर में बिना तलाश किये मिल सक्ते हैं,। इन्द्रियों का वेग ऐसा प्रवल है, और प्रकृति (Nature) की ऐसी अनिवार्य्य धारा है कि विवश होकर विचारी बिधवाओं को कुपथ गामिनी करतीही है। जब काम की पीड़ा पराकाष्ठा को पहुंच जाती है, तब इन विधवाओं को उस रोग की निवृत्ति के लिये उपाय करना पड़ता है, इस में उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष घर वाले, या जाति वाले, या पण्डितों का है, जो इनका पुनर्विवाह नहीं करते। अभी यदि किसी ऐसी अवस्था वाले पुरुष की स्त्री मरजावे और उसका विवाह न कीजिये, तो देख लीजिये कि थोड़े दिनों में कैसा दुश्चरित्र होजाता है। लाचार बिधवाओं को किसी पुरुष का आश्रय लेना पड़ता है। इसमें जैसा उनको संयोग लगे यदि घर में कोई देवर जेठ रडुआ हुआ तो उस्से ताड़ लगाई,यदि पास पड़ौस में कोई रसिक हुआ तो उस्से आंखें भिड़ीं यदि यह भी जोड़ खाली गया तो मंदिरों में दर्शन के बहाने से जाने लगीं, वहां

पुजारी या दर्शनी लोगों में से किसी को मारा, यदि यहां भी कुछ काम न चला, तो शहर बाहर किसी महात्मा बाबाजी को तलाश किया। फिर इनको तलाश करने की क्या ज़रूरत है, कामी पुरुष जो रात दिन इसी बन्दोबस्त में लगे रहते हैं अनेक तरह से खुद अपना जाल ऐसी बाल बिधवा पर डालते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि ये " ब्रह्मचारिणी " व्यभिचारिणी होजाती हैं। धीरे धीरे यह बात पास पड़ौस में फैलती है, लोग आपस में कानाफूसी करते हैं फिर इसका गुड्डा बंधता है, बिरादरी वालों को मालूम होता है, घर घर चर्चा फैलती है इस समय घरवालों का एक हमला उस पर होता है, यदि वह मान गई, और जो उसके व्यभिचार के प्रगट करने की बातें है, उन को छोड़ दिया, तो बात दब गई, नहीं तो इसका गुड्डा बंधा रहा, बिरादरी वाले सब दांत पीसते रहे! यह सम्भव है कि उसको जात बाहर कर दिया जाय पर उसी तरह के बिरादरी में दो चार और भी मार्के रहते हैं, इस्से फ़कत ज़बानी जमा ख़र्च होकर रह जाता है। अब विधवा की जब इतनी बदनामी, और घर वालों में किच किच हुइ तो यातो वह अपना खान पान अलग कराकर अलग जा रहती है, और वहां अपना सुख से काल व्यतीत करती है, और यदि घर में ही रही तो फिर मौक़े से अपना काम निकाला। अन्त को यदि गर्भ रहा, तो महिने दो महिने तक तो किसी ने नहीं जाना, तीसरे महिने से उस के लक्षण प्रगट होकर चर्चा उठती है, घर वाले भी घबड़ाते हैं गर्भ गिराने की चेष्टा की जाती है अर्थात् उसे दवा पिलाई जाती है, या उसके गर्भ के ऊपर कोई औरत बैठ जाती है, या उसे किसी ऊंचे स्थान से कुदाया जाता, या खूब गर्म मिर्चे मसाले दिये जाते हैं, यदि गर्भ गिरा तो उसका सब मवाद बड़ी होशियारी से किसी मातवर दाई या टहलनी के द्वारा दूर फिकवाया जाता है, यदि न गिरा तो फिर तीर्थ यात्रा करने को भेज दिया, तीर्थ में कौन जाता है, किसी अलक्षग्राम वग़ैरह में चार पांच महीने रहे, वहां लड़का लड़की जब हुआ तो उसे मार कर वहीं फेंक दिया, और पल्ले झाड़ कर चले आये। यदि इसका हाल पुलिस को मालूम होगया तो उनके पौ बारह हैं; जैसी इज़्ज़त हो उतने ही अधिक रुपये लेते हैं, तब वह मामला अपने रजिष्टर में नहीं लिखते। यदि किसी कम्बख़्त विधवा का गर्भ इतने उपायों से भी नहीं छिपता, और बिरादरी को भी प्रत्यक्ष होता तब तो वह बिचारी बड़ी निर्दयता से निकाली जाती है। घर में नहीं रहने पाती, खान पान बन्द

होता है, आफ़त की मारी देश छोड़ परदेश चली जाती है, वहां वेश्या वृत्ति या और किसी वृत्ति से अपना निर्वाह करती, और कुल के कलंक का कारण होती है। यह मैंने विधवा के कामार्त होकर बिगड़ने का एक दृष्टांत दिया है, जो इस विषय में उत्तम कहना चाहिये, दूसरे दृष्टान्त अत्यन्त अधम हैं। जैसे कि विधवा होने के दो चार महीने बाद जब सुसराल वालों से न बनी, तो अपना ज़ेवर ले बाप के घर में जा बैठीं, वहां निशंक हो गुप्त रीत से व्यभिचार किया। या सुसराल से माल मता लेकर किसी नौकर चाकर के साथ भाग जाती हैं, और फिर अपना मुंह किसी को जन्म भर नहीं दिख लातीं। यदि बिधवा पति के सामने से ही अलग हुई और माल भी भरपूर और घर भी अलग है, तो फिर जिस्से मन मिला उसे कारिन्दा करके रखलिया, और आखों में धूल डालकर अपना काम निकाला। दूसरे चौथे वर्ष यदि गर्भ हुआ, तो तीर्थ में जाकर विसर्जन किया। बहुतसी बिधवायें बदनामी क भय से अपने देश में नहीं रहतीं, वह इन सब कामों के लिये तीर्थ सेवन करतीं हैं। यदि हिसाब लगाया जाय, तो प्रति शतक में ७५ बाल बिधवायें ऐसी निकलेंगीं जिन्हों ने पति के मरने के अनन्तर काम के परतंत्र हो पर पुरुष गमन किया है। हम समझते हैं कि बाल बिधवाओं का ब्रह्मचर्य्य से रहना ऐसा कठिन है, जैसा प्रबल पवन का रोकना, या नदी के प्रवाह का बन्द करना या प्रचंड दावानल का बिना मेघ बुझाना असम्भव है। स्त्रियों के ब्रह्मचर्य्य की अपेक्षा पुरुषों के ब्रह्मचर्य्य की शास्त्र में बड़ी आवश्यकता है। छत्तीस वरस तक ब्रह्मचारी रहने की आज्ञा है, भला बतलाइये तो पुरुष कितने दिन तक ब्रह्मचारी रहते हैं? सिर्फ बारह या तेरह वर्ष जब तक उन्हें काम का अनुभव नहीं होता, फिर आप उन्हें दो चार दिन भी तो ब्रह्मचारी रख लीजिये। लड़कों के सिवाय ६० वर्ष के वुड्ढे तक विवाह करने को मुस्तैद हैं, उन्हें कोई रोक सकता है? सन्डे मुसन्डे वैरागी सन्यासी जिनका यही काम है दो दो चार चार रांडें "डंके की चोट" रखते, और समाज उनको हाथ जोड़े खड़ी है, उनका वन्दोवस्त कीजिये। पर किस की ताक़त है उनके लिये शास्त्र झख मारता है, बिरादरी का दण्ड दुम दवाये फिरता है और बिधवाओं के विपक्षी कंदराओं में घुस जाते हैं, "जबर्दस्त मारे और रोने न दे" लड़कों से कोई कुछ कहे, गालियां सुने वुड्ढों पर किसी का अख़्त्यार नहीं, वैरागी चीमटों से ख़बर लें ग़रीब की जोरू सब की भौजाई बिचारी विधवाओं के लिये ब्रह्म-

चर्य्य भी राक्षस के समान खाने को तय्यार है ! बिरादरी का दंड भी यम दंड हो रहा है, : और विपक्ष पंडित भी कालमूर्ति बन रहे हैं, । क्या न्याय इसी का नाम है ? क्या शास्त्र का यही पुरुषार्थ है ? क्या सामाजिक उत्कर्ष इसी में है ? मुझसे बहुत से लोगों से बाल विवाह के निषेध में बात चीत हुई, तो वह कहते हैं कि यदि हम लड़कों का बड़ी उम्र में विवाह करें तो वे बिगड़ जायें, पर इन बड़ी उम्र की बिधवा लड़कियों के विगड़ने का कुछ भी भय नहीं ? हा पत्थर पड़ें ऐसी मतिपर।

तृतीय आशंका यह है-कि यदि बिधवाओं के विवाह करने की रीति प्रचलित होगी तो फिर स्त्रियां पति को मार डाला करेंगी, जिस पति से उनका मन न मिला, उसे ज़हर देकर मार दिया और झट दूसरे से विवाह कर लिया।

यह संदेह ऐसा है कि जैसा कोई कहे कि हम खेती तो करें, पर यदि हिरन चरजायें। प्रथम बिधवा विवाह प्रवृत नहीं हुआ, कि अभी से ऐसी दूर की सूझने लगी। हम जिन विचारी बाल विधवाओं का इतनी दूर से झींखना झींखते चले आते हैं उनसे ऐसा संभव हो सक्ता है, कोई मूर्ख भी स्वीकार न करेगा। जहां पति का मुख दर्शन भी नहीं हुआ, वहां ऐसा होना असंभव है तथापि यदि बड़ी अवस्था वाली स्त्रियों के लिये कहा जाय तौभी असम्भव है। क्योंकि जो स्त्री इतनी दुश्चरित्रा होंगी, उसके लिये बिधवा विवाह पति हत्या का मूल कारण नहीं हो सक्ता। क्या ऐसी स्त्रियां अब ऐसा नहीं करतीं ? क्योंकि यदि पति को मारकर अपने मित्र के साथ रमजायें, तो उनको कौन रोक सक्ता है ? क़ानून अथवा शर्म वा राज दण्ड और लोक लज्जा के भय से ऐसा बहुत ही कम होता है। मुक़द्दमों की संख्या में ऐसे मुक़दमे जो पति के ज़हर देने के सम्बन्ध में हों, बहुत कम निकलेंगे, शायद दो चार। और फिर यदि भारतवर्ष की स्त्रियों की संख्या में फैलाकर उसका विचार किया जाय तो कुछ भी अंक न पड़ैगा। क्या ऐसा सम्भव है कि किसी बिधवा का अपने सजातीय अपत्नीक से प्रेम हो, और फिर दोनों को लोक लज्जा वा समाज के धर्म्म का इतना भय हो, कि बिना विवाह के उससे सम्पर्क रखना अनुचित जानें, तब स्त्री पति को ज़हर दे, और वह किसी को मालूम न पड़े, और फिर उसी से विवाह करे, और विवाह करने वाला भी ऐसी दुष्ट हत्यारी से संदेह न करे कि किसी दिन मेरी भी यही दशा होगी। यह दुष्ट वेश्या से भी होना अस-

म्भव है, फिर कुल स्त्रियां ऐसा करें अत्यन्त असम्बद्ध है। यदि यह कहा जाय कि पति की बीमारी में अच्छी तरह टहल सेवा न करेंगी, क्योंकि अब तो उसे यह विश्वास है कि इसी पति से मेरा सर्वस्व है, यदि विधवा विवाह होने लगा, तो वह कहेगी कि मैं दूसरा पति कर लूंगी, इस्से कुछ बीमारी बढ़कर पति मर जाय। किन्तु संसार का यह नियम है कि जिससे दो, चार, दिन का सहवास होता है उससे प्रेम होजाता है, फिर जिसके साथ इतना बड़ा और ऐसा भारी संयोग है, उससे स्त्री की प्रीति न हो, असम्भव है। और जब दोनों की प्रीति है तब उसके सुख दुःख का असर उसके हृदय पर नहो असम्भव है, सुख दुःख का असर है, तब उसके मरने का क्लेश न हो और भी आश्चर्य्य है। फिर इसी का क्या ठिकाना कि उत्तम पति और उत्तम ही घर मिले! बस यह केवल साध्वी स्त्री के पक्ष में सन्देह मात्र है, दुष्ट स्त्री के लिये तो कुछ भी कभी प्रबन्ध नहीं हो सक्ता। मैं जानता हूं कि पुरुषों को इस बात के कहने का भी कुछ अधिकार नहीं है क्योंकि जो चार्ज पुरुष स्त्रियों के ऊपर लाते हैं, वह चार्ज उन पर भी आ सकता है। क्योंकि उनको अधिकार है कि एक स्त्री के मरने पर दूसरी स्त्री से बिवाह कर लेते हैं, क्या पुरुष भी दूसरी स्त्रियों के भरोसे पर बीमार स्त्रियों को मार डालते हैं, अथवा ज़हर देते हैं? क्या पुरुष अपनी पूर्व स्त्रियों के गुण स्मरण कर वर्तमान स्त्रियों के आगे नहीं रोया करते हैं? अतएव यह संदेह भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं है!

चतुर्थ आशंका यह है कि--यह रीति नीचों में है यदि उच्च जाति में भी होगी तो नीच और उच्च जाति में कुछ भेद न रहा।

इसका उत्तर एतन् मात्र हो सकता है कि जो यह रिवाज नीचों में है तो क्या इस रिवाज के कारण वे नीच समझे जाते हैं? अथवा उनकी नीचता का और भी कारण है? देखना चाहिये कि भारतवर्ष में कौन २ सी जाति नीच समझी जाती हैं। प्रथम भंगी, चमार, कोली, इत्यादि। जो जघन्य कार्य्य करते हैं इनसे उत्तम श्रेणी में धोबी, कुम्हार, गड़रिया, कुनबी आदि जो साधारण मेहनत करके अपना निर्वाह करते हैं। इनसे उत्तम तृतीय श्रेणी में सुनार, लुहार, बढ़ई, दरज़ी, नाऊ, बारी, कहार, आदि जो उत्कृष्ट जीविका करते हैं, बस यही सब नीच जातियों में गिने जाते हैं। मैं इस विषय में शास्त्रीय प्रमाण के अनुकूल नहीं लिखता, केवल लोक रीति पर लिखता हूं कि इनकी नीचता यदि बिधवा

विवाह या धरजे से ही हो, तो उनका कर्म नीच नहीं हो सकता। क्योंकि उस कर्म को यदि कोई करे तो फिर कुछ चिंता नहीं पर ऐसा नहीं होता, जहां तक उनके नीचे होने का विचार है, वह केवल कर्म से ही सम्बन्ध रखता है। तो इस धरेजे से तो वे नीच नहीं हैं, अब यदि यह कहा जाय कि उनकी यह एक रिवाज है, इसे स्वीकार न करना चाहिये, तो फिर उनकी कोई रिवाज भी स्वीकार न करना चाहिये। जैसा कि वह बिरादरी के झगड़ों में लोगों का हुक्का पानी बंद कर देते हैं उच्च जातियों में भी क्यों ऐसा रिवाज है? जैसा कि वह रुपये पर लड़की बेचते हैं उच्च जातियों में भी क्यों ऐसी चाल है? विशेषतः यह एक २ प्राकृतिक बात है, वह उच्च नीच मनुष्य मात्र में एक सा है। खाना, पीना, पहरना, ओढ़ना, रोना, हंसना, शादी ग़मी मनुष्य मात्र का एक सा व्यवहार है, चाहे उसके प्रकार दूसरे हों तो क्या नीच लोग जो इन कामों को करते हैं, वह हम न करें? फिर यह समझ का फेर है कि केवल नीच जाति में इसका प्रचार है जाटों में सर्व साधारण धरेजा होता है, गूजरों में भी इसका निषेध नहीं है। यदि यह शूद्र समझे जावें तो इनकी बिरादरी को क्यों ब्राह्मण लोग क्षत्री संस्कार करते हैं? और स्वच्छन्द उनका अन्न खाते हैं। मुसलमान और अंग्रेज़ों को हम लोग द्वेष से नीच जाति बतलाते हैं, परन्तु जगत में सभ्य जाति में इन की गणना है। इन लोगों में भी पुनर्विवाह प्रचलित है। हिन्दुओं की दो चार जातियों के सिवाय जगत की किसी जाति में इसका निषेध नहीं है। फिर यह बात विचारनी चाहिये कि हमारी हिन्दुओं की नीच जातों में जो इसका प्रचार हुआ, वह स्वतः सिद्ध इन्हीं जातियों ने किया, अथवा हमारी ही देखा देखी? क़ायदे से बोध होता है कि हमारी देखा देखी इनमें प्रवृत्त हुआ, क्योंकि हमारे इनके मूल पुरुष एक, हमारे इनके सामाजिक नियम एक, हमारा इनका विश्वास आदि एक जैसा, पहिले सब हिन्दुओं की जातियों में मद्यमांस का प्रचार था, पर काल क्रम से उच्च जाति वालों ने छोड़ दिया, नीच जातियों में है। ऐसाही पुनर्विवाह वा नियोग भी सब जातियों में था जाति की उत्कर्षेच्छा, और अभिमान से लोगोंने स्त्रियों का पुनर्विवाह बन्द किया, सती कर देने लगे। फिर देखना चाहिये, कि ठाकुर आदि में पुनर्विवाह नहीं है पर डोला की रीति, और दासियों के रखने का व्यवहार है। क्या यह पुनर्विवाह से अच्छा है! फिर जब कि रण्डी रखना आज कल उच्च जाति

के लोगो का आभूषण है, जब कि लड़कों का कुसंग उच्च जातिओं का प्रधान आमोद है, जब कि व्यभिचार उच्च जातियों में निन्द्य ही नहीं समझा जाता, तब पुनर्विवाह ही नीचता का परम प्रतिपादक होगा? विशेष धरेजा, और चीज़ है, और पुनर्विवाह और बात है। वह अशास्त्रीय, यह शास्त्रीय, वह अनियत, यह नियत है, उसमें इसमें बड़ा अंतर है, जबकि भारतवर्ष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक अनेक विद्वान बुद्धिमान महान लोग इसके पोषक हैं, जब कि बंगाल, बम्बई, मन्द-राज आदि में कई उच्च कुलों में पुनर्विवाह हो गये, तब यह नीच कर्म है ऐसा कोई बुद्धिमान स्वीकार नहीं कर सक्ता। बहुधा लोग यह भी कहते हैं कि हिंदू जाति में अब एक विधवाओं का ब्रह्मचर्य्य ही अभिमान का कारण बचा है यदि यह भी न रहा, तो जगत में क्या लेकर हिन्दू जाति अभिमान और गर्व करेगी। इसके उत्तर में अत्यन्त विषाद से कहना पड़ता है कि जब ब्राह्मणों ने तप छोड़कर अर्थ पिशाचता स्वीकार की, जब क्षत्रियों ने अपनी वीरता छोड़कर 'ज़नानापन' लिया जब तमाम पेशेवालों ने अपना २ काम छोड़कर कुलीगीरी स्वीकार की, जब स्वर्णभूमि भारतभूमि स्मशान हो गई, जब इन सब अनाथों का उपाय किसी ने न किया, जब कि इन अनाथों के होने पर भी इनके उद्धार की चेष्टा नहीं है, जब कि पुरुषों से तो अपना अभिमान एक बात में भी न रक्खा गया, तो अब वह सो लंहगा ओढ़नी पहरकर पर्दे में बैठें, अब हिंदू जाति का अभिमान बिचारी बाल बिधवायें रक्खेंगी, अब हिंदू जाति को इन्हीं का बल भरोसा रह गया, और इनको रुलार कर और अशेष यन्त्रणा देने से ही हिंदू जाति की गौरव रक्षा होगी? फिर यदि पुनर्विवाह न करने से गौरव रक्षा हो, तो वह भी मान सक्ते हैं एक ओर इसके न करने से जैसी प्रतिष्ठा होती हैं, दूसरी ओर इसके न होने से महा अनर्थ और अप्रतिष्ठा होती है कि जिसने हिंदू समाज को परम कलंकित कर रक्खा है इन दोनों पक्षों में बुद्धिमानों के निकट पुनर्विवाह करना ही उत्तम पक्ष है। हम लोगों में मूर्खता के प्रताप से एक प्रकार की भण्डता चलित है जैसा कि विवाह में फ़िज़ूल हज़ारों रुपये ख़र्च कर देना, पर उनका मुख्य उद्देश्य वर बधू की प्रसन्नता नहीं देखना, ऐसा ही जाति की उत्तमता वा अभिमान जिन विद्या बुद्धि ऐक्यता, आदि से होता है, उनको तो तिलाञ्जली देदी, अब जाति के अभिमान की केवल विधवाओं के ब्रह्मचर्य से ही रक्षा होगी? हा! शोक!!

पंचम आशंका यह कि " बिधवा विवाह " परम्परा से प्रचिलित नहीं। इससे हम नहीं कर सक्ते।

इसका निवारण इस प्रकार से हो सक्ता है, कि परम्परा दो प्रकार की है, एक अंध परम्परा, और दूसरी शिष्ट परम्परा। अन्ध परम्परा तो वह कि जिसमें आंख मींचे काम किये चले जाते हैं, जैसा पहिले से होता चला आया, वैसे ही करते चले जांयगे. चाहे इस में लाभ हो चाहे हानि। जैसा कि एक अंधे के पीछे दस अंधे चले जाते हैं, और इस प्रकार की अन्ध परम्परा जंगली लोगों में विशेष शोभा देती है। और शिष्ट परम्परा यह कि जो शिष्ट लोग बुद्धि विचार से करते चले आते हैं। वास्तव में इन दोनों परम्पराओं का मूल बुद्धि और विचार और समय पर है। जब जो बात समय के अनुकूल होती है वह प्रचलित हो जाती है, वही थोड़े दिन पीछे परम्परा, और सनातन रीति कहलाने लगती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि परम्परा की रीति परम आवश्यक होने पर भी न बदली जावे। यदि मान लें कि न बदली जावे, तो केवल मुख से कह सक्ते है। परन्तु कार्य्य में उस के विरुद्ध किया जाता है वह न केवल लौकिक कामों में परन्तु धर्मकार्यों में भी परिवर्त्तन हो जाता है विचार का स्थल है कि पहले कोई ब्राह्मण ऐसा न था जो अग्निहोत्र न करता हो, अब तमाम हिन्दुस्तान में कितने ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं ? पहिले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के लड़के उपवीत होकर ब्रह्मचर्य्य से वेदाध्यन करते थे, अब क्षत्रिय वैश्यों में तो यज्ञोपवीत ही उठ गया, ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत का प्रचार है पर वेदाध्ययन रहा नहीं ! पहिले स्त्रियों का पर्दा न था, अब पर्दा है। इत्यादि धर्म और लोक दोनों में बहुत सा परिवर्तन होगया है, जिससे स्पष्ट है कि परम्परा कुछ नियत पदार्थ नहीं है। यदि उतनी सामर्थ्य, समय, अवकाश न हो तो बदली जा सक्ती है। एक बात और है कि यदि परम्परा वाद ही मुख्य है तो फिर परम्परा पहिली ग्राह्य है अथवा मध्य की अथवा वर्तमान की ! यदि पहिली, तो पहिले समय में विधवा विवाह और विधवा नियोग प्रचलित था, अर्जुन ने नागराज की विधवा कन्या से विवाह किया था विचित्रवीर्य्य की स्त्रियों से व्यासजी ने नियोग किया था।

यदि मध्य-तो जब "दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानम्परस्यच" इत्यादि वाक्यों द्वारा कलियुग में विधवा विवाह का निषेध किया गया, तो उस समय यह रीति प्रचलित थी, पर यदि अब की परम्परा लीजाय, तो प्राचीन परम्परा के आगे नवीन

परम्परा का कुछ सन्मान नहीं है। और यदि नवीन परम्परा ही मानी जाय, तो फिर नवीन बिधवा विवाह के प्रचार में परम्परा बाधक नहीं हो सकती क्योंकि सदैव समयानुकूल परम्परा बदली जा सकती है। यदि यह कहा जाय कि इस वर्त्तमान समय में पहले क्यों नहीं बिधवा विवाह प्रचलित किया गया, तो विचारना चाहिये कि विवाह शादी का ख़र्च बढ़जाने, और स्वार्थी लोगों की स्वार्थपरता के प्रबल होने से बाल विवाह का जैसा इस समय घोर प्रचार है, पहिले नहीं था फलित ज्योतिष की आड़ में जन्म पत्री मिलाकर भी विवाह नहीं होता था वर कन्या दोनों के प्रेम से विवाह होता था उस समय प्रथम बड़ी अवस्था में विवाह' होता था, द्वितीय वर कन्या दोनों में स्वर्गीय प्रेम था, इस से न "बाल विधवा' होती थी, न अक्षता रहती थी, न विधवा होने पर उन को पति के शोक में दूसरे विवाह करने की इच्छा होती थी द्वितीय बडी अवस्था के विवाह से शीघ्र ही संतान हो जाती थी, इस से वह गत यौवना भी हो जाती, तब किसी को उन से विवाह भी न रुचता था। तृतीय अनेक स्त्रियां सती भी हो जाती, थीं अब जब कि केवल जन्मपत्री के भरोसे पर बुरे भले बर से विवाह होता है, और वर्षों तक अक्षता बैठी रहतीं, और बाल्यवय में ही बिना संसार के सुख देखे उन पर यह 'वैध्यव्य वज्र' पड़ता है और आगे उनकी इस असहाय अवस्था का निर्वाह कठिन सा दीखता है तब प्रकृति से ऐसी बिधवाओं के विवाह कर देने की इच्छा होती है! बुद्धिमान लोग इस बात में कुछ भी आग्रह न करेंगे, कि परम्परा न बदली जावे। समय के अनुसार राज्य बदल जाते हैं, पृथ्वी की दशा बदल जाती है, मनुष्यों का रूप रंग भाषा बदल जाती है तब परम्परा क्या चीज़ है ?

षष्ठं आशङ्का यह कि विधवा विवाह करने से लोक में बडी निन्दा होगी।

इसका उत्तर यह कि प्रथम एक नवीन काम करने से लोक में बडी निन्दा होगी निस्सन्देह जब तक कि इसका प्रचार नहीं हैं, तब तक केवल निन्दा ही नहीं वरञ्च कुछ कष्ट भी स्वीकार करना पड़ेगा, परन्तु संसार में ऐसे मनुष्य क्या ईश्वर के अवतार तक नहीं बचे, जिनकी निन्दा न हुई हो, निन्दा अवश्य बुरी है, पर निन्दा का परिणाम सोचना चाहिये। हम देखते हैं कि अपने काम के लिये लोग अनेक निन्दा के काम कर के स्वार्थ रक्षा करते हैं तो क्या अपनी संतान के लिये इतनी निन्दा न सहेंगे ? क्या अपनी बिधवा कन्याओं के निरन्तर दुःख मिटाने के

लिये इन दुष्टों की निन्दा की उपेक्षा न करेंगे ? क्या उन निरपराधिनी बालिकाओं की प्राण रक्षा के लिये कुछ कष्ट स्वीकार न करेंगे ? क्या अपनी दुखी संतान के स्नेह में आकर विपक्षियों को न ललकारेंगे ? क्या ऐसे अंधों की बात में पड़कर अपनी संतान को दुःख के अथाह समुद्र और काम की महा ज्वाला में फेंक देना चाहेंगे ? क्या माता पिता का यही कर्त्तव्य है ? क्या माता पिता को अपने हाथ से अपने संतान को आंख बंद कर के ज़हर पिला देना चाहिये ? यदि चाहिये तो अब परमेश्वर की सृष्टि में किसी का विश्वास नहीं रहा ? तमाम संसार में हम पुकार कर कहे देते हैं कि जब निन्दा के भय से माता पिता अपनी संतान की भलाई न करें बस हो चुका ! ऐसी सृष्टि का शीघ्र ही प्रलय होना चाहिये। हा दैव ! हा दैव ! ऐसे माता पिता, माता पिता नहीं राक्षस हैं जब कि हमारे भाई निन्दा से ऐसे डरते हैं, तो क्या वह नहीं जानते कि इस समय में जो कोई पहले बिधवाओं का दुःख हरेगा, उसकी स्तुति भारतवर्ष में अविकल छा जायगी ! उसका युगानुयुग तक नाम रहेगा ! निन्दा करने वाले तो थोडे दिनों में कुत्ते की तरह भूंक कर चुप हो जायेंगे। स्तुति की ध्वनि ही सदैव कर्णों में प्रवेश करेगी। यदि निन्दा का ख़याल है, तो उस निन्दा का खयाल नहीं जो विधवाओं को ब्रह्म-चारिणी रखने से व्यभिचार, गर्भपात, जातिभ्रंश आदि से होगी। दोनों पक्षों में जो निन्दा बढ़कर हो उससे बचना चाहिये। मेरी बुद्धि में पहिली निन्दा से पिछ-ली निन्दा बढ़कर है। विशेषतः जो निन्दा वास्तविक निन्दा है, उससे बचना चाहिये न कि झूठी निन्दा से। बिधवा विवाह शास्त्र में निषिद्ध नहीं, लोक में इस से कोई क्षति नहीं, न्याय से बाहर नहीं, तब जो लोग इसकी निन्दा करते हैं, वह यातो अज्ञान से या द्वेष से निन्दा करते हैं, बस ऐसी निन्दा से कुछ भी भय नहीं करना चाहिये। दूसरे प्रकार की निन्दा लोग यह बतलाते हैं कि यदि हम अपनी बिधवा लड़की को किसी के साथ विवाह कर दें तो हम को उससे नीचा बनना पड़ेगा—वह लोग हमारी निन्दा करेंगे कि वह उसकी विधवा लड़की का पति है। यह तो कुछ भी निन्दा नहीं, यह विवाह जो होगा, तो अपनी जाति में किसी उत्तम वर से विवाह होगा, जब पहले भी किसी के साथ विवाह किया जाता था, और उसे जामाता बनाया था, तो फिर दूसरी बार किसी को जामाता बनाने में क्या बुराई है ? क्या एक पुरुष के कई जामाता नहीं होते। फिर यदि कन्या व्यभिचारिणी हुई,

तो क्या उस के 'यार' को लोग जमाई न बतलावेंगे। उस 'जमाई' से यह 'जमाई' अच्छा है लोक में कोई ऐसी अपूर्व निन्दा नहीं हैं जिससे विधआओं का विवाह करना रोका जा सक्ता है। सिवाय इस के जब कोई अपनी कन्या का विवाह करते हैं और उस में हज़ारों देकर भी थोड़े से देने लेने आदि के वैगुण्य से निन्दा होती है, तो यदि इस में थोड़ी सी निन्दा हुई, तो वह भी सहलेनी चाहिये।

सप्तम आशङ्का—कहीं पर बाज़ों का विचार यह है कि लड़की के एक विवाह के खर्च से बडी कठिनाई पड़ती है, दो दो विवाहों का ख़र्च कहां से आसक्ता है?

यह, आशङ्का परम क्षुद्र लोगों की है जो अपने परम प्रिय संतान के सुख के आगे रुपयों का ख़याल करते हैं, परन्तु उन्हें यह समझना चाहिये यदि विधवा को जन्म भर अपने घर में रख कर पालन करें तो क्या विवाह से अधिक ख़र्च न पड़ेगा। परन्तु एक बात है कि यदि विधवा विवाह करले, तो सुसराल वालों को उसके मरने पर उसका माल न मिले पर क़ानून के अनुसार उस पुरुषका सब सत्व जिससे वह बिवाही गई थी, तत्काल उसके विवाह करने पर सुसराल वालों को मिल जायगा।

अष्टम आशङ्का—क्या कुतर्क है कि यदि विधवा विवाह व्यभिचार की निवृत्ति के लिये है, तो क्या विवाहिता स्त्रियां व्यभिचार नहीं करतीं?

अवश्य विवाहिता स्त्री भी व्यभिचार करती हैं, पर वह विवश होकर नहीं करती, वह केवल कुसंग से। तथापि बहुत कम। और बिधवाओं को लाचारी से करना पड़ता है। फिर यदि हमारे विपक्षी लोग इसी सिद्धान्त से विधवा विवाह का निषेध करते हैं, तो फिर विवाह मात्र बंद हो जाना चाहिये। यह तो सब कोई जानते हैं कि विवाह व्यभिचार की निवृत्ति के लिये किया जाता है। क्या विधवाओं का विवाह किया जावेगा, तो उन के व्यभिचार का प्रवाह बंद न होगा?

इन कई शंकाओं का, जो साधारण है हमने संक्षेप से खंडन किया है, यदि और भी कोई छोटी छोटी शंकाऐं हों, तो बुद्धिमान पाठक उनका पूर्वा पर बिचार कर खुद निर्णय कर सक्ते हैं, अब हम यह लिखते हैं कि बिधवा विवाह के प्रचार न होने से क्या क्या हानियां हैं।

प्रथम यह कि विधवा बिवाह के न होने से समाज में व्यभिचार का अत्यन्त प्रादुर्भाव है। यदि बिधवाओं का विवाह होजाया करे तो वेश्याओं के सिवाय

और कोई व्यभिचार के लिये कम मिले, व्यभिचारिणी बिधवायें पुरुषों को ही ख़राब नहीं करतीं, बरन स्त्रियों को भी अपने मेल में मिलाती हैं, जिस से अच्छे २ सत् कुल भी कलंकित हो जाते हैं फिर व्यभिचार से केवल एक ही पाप प्रवृत्त नहीं होता, वरञ्च चोरी खून आदि भी इसी से प्रवृत्त होते हैं। फिर यह सब दुर्व्यसन नीच लोगों तक ही मर्यादा नहीं करते, भद्र लोगों तक इसका प्रभाव पहुंचता है विशेषतः जिस समाज में जितना व्यभिचार अधिक प्रवृत्त होगा, उतना ही अधिक अधोगत होता है। फिर उसकी उन्नति कठिनता से होती है। आलस्य, आमोद प्रियता, अति व्ययिता, सब व्यभिचार से ही उत्पन्न होते हैं। बिधवाओं का विवाह न करना यदि समाज में व्यभिचार का प्रसारक है तो यह क्या कोई छोटी हानि है? जो हिन्दू समाज किसी दिन सच्चरित्रता के लिये परम प्रमाण था, आज उसी में व्यभिचार का एकाधिपत्य हो, यह क्या कुछ कम लज्जा का विषय है।

द्वितीय हानि यह कि विधवा विवाह के न होने से अनेक गर्भहत्या होती हैं। समाज के प्रखर शासन, लोक लज्जा के अदम्य आवेग, और भण्ड चरित्र के अवश्य अनुकरणीय होने से बिधवाजन अनेक भ्रूण हत्या करती हैं। मनुष्य गणना से मालूम हुआ कि भारतवर्ष में साठ लक्ष बिधवायें हैं जिनकी अवस्था १० से २० तक है। यदि प्रति लक्ष में से ५०० भी प्रति वर्ष गर्भ गिराती हैं तो ३०००० गर्भ प्रति वर्ष गिरते हैं। क्या यह सामान्य पाप है? जिस भूमि और जिस समाज में इतनी भ्रूण हत्या होती है, क्या उस समाज का मुख देखना चाहिये? क्या उनके मुख देखने से प्रायश्चित नहीं करना पडता? और इस भ्रूण हत्या से कैसा राक्षसी भाव समाज में बढ़ता जाता है, इसका कुछ वर्णन नहीं होसक्ता। विशेष इस भ्रूण हत्या के करने से अनेक विधवा जन अकाल में मरजाती हैं और जिस ब्रह्मचर्य्य के द्वारा स्वर्ग के सुख मिलने के लिये हमारे विपक्षी आन्दोलन करते हैं, हम जानते हैं कि उन को उसके बदले नरक की यातना इस भ्रूण हत्या से होगी।

तृतीय-हिंदू समाज में बिधवा विवाह के न होने से अत्यन्त भ्रष्ट होते हैं। जो स्त्रियां बिधवा होजाती हैं, उनके लिये संसार में फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता, घर के काम काज की उन्हें कुछ फ़िक्र नहीं, किसी के मरने जीने का उन्हें कुछ शोक नहीं सच पूछिये तो वह एक तरह की 'वैरागिन' हैं वह घर छोड़कर बहुधा तीर्थों में जाकर वास करतीं हैं, इधर एक प्रकार की बिधवाओं का नम्बर

तीर्थों में बढ़ जाता है, उधर उसी प्रकार के रडुओं का नम्बर बढ़ता है, अंत को आग फूसका वेर है, दोनों जने घर कर बैठते हैं, और परम पवित्र तीर्थों में पाप का स्रोत बहने लगता है, जो उन के बिगाड़ के सिवाय सम्पूर्ण हिन्दू समाज का अहितकारी होता है। जो हिंदू लोग तीर्थों में चित्त की शुद्धि के लिये जाते हैं जब वह तीर्थों की भी ऐसी अवस्था देखते हैं तो भद्र लोग सिर पीटते हैं, और इतर लोग उस को व्यभिचार के लिये 'नमूना' मानते हैं। फिर इसी सूत्र के वशवर्ती होकर हज़ारों व्यभिचारी 'तीर्थ सेवन' करते, और शान्ति के बदले कामाग्नि को घोर प्रज्वलित करते। जो हमारी बात में किसी को सन्देह हो, तो वह थोड़ा श्रम स्वीकार करें, वृन्दावन, मथुरा, काशी प्रयाग, अयोध्या, आदि में विधवाओं का ज़ोर जाकर देखलें। जैसा कि मैं वृन्दाबन में तमाम बंगाल, राजपूताना आदि की हज़ारों विधवाओं का उदाहरण देता हूँ कि ये घर छोड़ छोड़कर यहां आकर रहती हैं और सर्वसाधारण व्यभिचारी भी जो यहां किसी निमित्त से बास करते हैं, परस्पर अपना प्रेम कर लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बड़े बड़े मन्दिर, महात्माओं की कुटी, मनोहर तीर्थस्थान कोई व्यभिचार से ख़ाली नहीं मिलते। और प्रतिदिन भ्रूण हत्या होती है। ऐसी ही काशी आदि की दशा है। क्या हमारे लिये यह बड़ा भयङ्कर परिणाम नहीं है ? क्या हम लोगों को ऐसे प्रसङ्गों से लज्जा नहीं होंनी चाहिये ? क्या तीर्थों की शुद्धि नहीं करनी चाहिये ? यदि विधवाओं का विवाह हुआ करें, तो यह तीर्थ जो व्यभिचार से गदले होरहे हैं शीघ्र ही निर्मल होजावैं।

चतुर्थ विधवा विवाह न होंने से विरक्त लोगों का बड़ा सत्यानाश होता है। विधवायें जो काम पीड़ा से दुखित रहती हैं, और विरक्त जो बेफ़िक्री के खाने पीने से सण्ड मुसण्ड रहते हैं, दोनों की प्रकृति मिलजाती है, यदि विधवा को कुछ डर हुआ तो स्वामीजी का अपने घर बुलाकर निमन्त्रण करतीं, या आप सत्संग करने के लिये उनके आश्रमों में पहुँचतीं, और यदि कुछ डर न हुआ, तो बाबाजी ने अपने मंदिर में महन्तानी करके रखलिया। और आनंद से दोनों का कालक्षेप होने लगा, और 'वर्णशङ्कर संयोगी वंश' की उत्पत्ति हुई। इसके उदाहरण चाहे जिस वैरागी के स्थान में देख लीजिये !यह कैसा दुष्ट परिणाम है, इधर तो विरक्त जो संसार का परमार्थ उपदेश से कल्याण करते, नष्ट हुए, उधर विधवाओं का नाश हुआ।

पंचम यदि विधवाओं का विवाह हो जाया करे तो कुटुम्ब वालों से और उनसे कुछ ज़मीन जायदाद के मुक़द्दमे न हुआ करें अब न होने की सूरत में अपने अपने अधिकार जमाने के लिये दोनों में खूब अदालत छिड़ती है। और अदालत ही नहीं, घर में भी बड़ा भारी क्लेश होता है, जिस से एक दूसरे के परम बैरी हो जाते हैं, और आपस में नित्य बदनामी उड़ाते हैं। सच तो यह है कि यदि परिवार में कोई कर्कशा विधवा हुई, तो परिवार की आफ़त है, और अदालत के झगड़ों से धन का सर्वनाश है। बस ऐसी ऐसी अनेक निज की और सर्व साधारण जाति की हानियां है, जो विधवा विवाह के होने से प्रचलित है यदि निर्भय होकर विधवाओं का विवाह हुआ करे, तो यह सब सामाजिक और धार्मिक हानियां सहज ही में निबट जायें।

अब हम उन लाभों का वर्णन करते हैं जो विधवा विवाह के द्वारा होंगे। प्रथम यह कि जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनका जीवन केवल संसार में दुःख पाने के लिये हैं, संसार के यावत सुख उन से छूट जाते, बस इसी निमित्त विधवा जन जितने दिम जीती हैं अपने व्यर्थ जीवन को दुःख दुर्दशा से काटती हैं। उनका दिन सोच विचार और रात्रि रोदन में व्यतीत होती है, कोई काम वह ऐसा नहीं करतीं, जिस से उनके कुटुम्ब का वा संसार का कुछ उपकार हो। उन का जीना भारत भूमि को और भी भाराक्रान्त करने के लिये है,देश में जितने निरुद्यमी, और मुफ्त के खाने वालों की संख्या बढ़ती है, देश का उतना ही अमंगल है। यदि इन विधवाओं का विवाह हो जाया करे तो इनकी ज़िंदगी बड़े आनन्द में कटे, और यह निरुद्योग न रहें। अपनी गृहस्थी का प्रबन्ध करें, और अपने पति के कार्यों में एकान्त सहायक हों जिस से देश में उद्योग की वृद्धि हो।

द्वितीय यह बात सब को विदित है कि हिन्दुओं की संख्या दिन प्रति दिन घटती जाती है। कुछ मुसलमान होजाते हैं कुछ क्रिस्तान हो जाते हैं कुछ ब्राह्मो आदि दल में निकल गये हिन्दू लोगों का दल घटता ही जाता है। यदि विधवा विवाह का प्रचार हो, तो हिन्दुओं की कितनी संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़े कि भारत वर्ष में रहने को स्थान न मिले। और इस संख्या वृद्धि से जो हिन्दू जाति और हिन्दू देश को लाभ होगा, इसका लिखना बाहुल्य मात्र है।

तृतीय जिन पुरुषों की अवस्था युवा है, और उनकी स्त्रियां मरगई, द्रव्य के अ-

धिक व्यय और कन्याओं के समुचित न मिलने से उनका फिर विवाह नहीं होता। और जिनका विवाह नहीं होता वह पुरुष हृदय में उदासीन, और अपनी उन्नति में निरुद्योग रहते हैं, यदि उन का थोड़े व्यय और परिश्रम से विधवाओं के द्वारा विवाह हो जाया करेगा, तो उन की जीवन वाटिका फिर हरी भरी हो जायगी, और उस में अनेक सुफल फलेंगे। निरुद्योगी, निरुत्साही, निरानंदी लोगों की संख्या जितनी घटे, देश को उतना ही लाभ है। और सृष्टि कर्ता के अभिप्राय की रक्षा होगी!

चतुर्थ यह कि भारतवर्ष चारों ओर से अनेक दुःखदुर्दशाओं से घिरा हुआ है उसमें भी यह साठ लक्ष बाल विधवाओं के उष्ण श्वास, और उष्ण अश्रु, मर्मान्तिक कष्ट दे रहा है। इस क्लेश से जो प्रगट अप्रगट फल मिलते हैं, उन के विस्तार की अपेक्षा नहीं। बुद्धिमान मात्र का यह मत है कि जब प्रथम घर का प्रबन्ध उत्तम हो तो बाहर का भी प्रबन्ध उत्तम होगा। जब हमारे घर में हमारी स्त्रियों पर यह बज्रपात हो रहा है, तब हमारी बहिरङ्ग उन्नति तमाशा मात्र है। इस से प्रथम अपने अन्तरङ्ग क्लेश को दूर करना चाहिये। यह क्लेश विधवा विवाह के प्रचार मात्र में दूर हो जायगा! दुःख की घोर रात्रि जो सैकड़ों वर्षों से छारही है, उसका अवसान होगा! सुख का सूर्य उदय होगा! चारों ओर आनंद के बाजे बजने लगेंगे। स्त्री पुरुष दोनों आनंद से अपनी मातृभूमि के उद्धार में सयत्न होंगे जगदीश्वर शीघ्र ही उनका मनोरथ सुफल करेगा।

निदान यहां तक हमने विधवा विवाह की कर्त्तव्यता के विषय निर्णय किया, उस से विदित होगा कि यह कैसा आवश्यक विषय है, परन्तु खेद है कि जब संवत १९११ में सब से प्रथम पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासार महाशय ने इस विषय की व्यवस्था दी थी, तब से अब तक बहुत ही थोडे विवाह हुए हैं। यदि संख्या करें तो प्रति वर्ष दस बारह का हिसाब पडता है, जो इतने बड़े देश और इतने समय में कुछ भी गिनती के योग्य नहीं है। विधवा विवाह के प्रचार न होने का मुख्य कारण क्या है? हमारी समझ में जैसे विद्यासागर महाशय ने इसकी व्यवस्था दी थी, वैसे ही हमारे देश के सब प्रधान प्रधान पण्डित लोग इस में सहायता देते, और इसका हृदय से प्रचार चाहते, तो अब तक कभी का विधवाओं का क्लेश दूर हो गया होता, पर यहां तो जो पण्डितों ने देखा कि विद्यासागर महाशय की

प्रतिष्ठा बढ़ी जाती है, बस तमाम विरुद्ध होने लगे इस विषय का झूठे सच्चे प्रमाणों से खण्डन करने, और विधवाओं के गलों पर छुरी चलाने लगे। इधर जिन लोगों ने अपनी विधवा कन्याओं का विवाह किया, वह अवश्य किसी न किसी जाति में थे। जाति वालों में जो परस्पर ईर्षा द्वेष होता है, वह किसी से छिपा नहीं है, एक दो बिचारे दयालु महात्मा जो अपनी कन्याओं के दुःख मिटाने के लिये उद्यत हुए तो उन के ईर्षक लोग अपना मौका देखकर उन के पीछे पड़ गये, बस फिर क्या हिन्दुस्तान की अफ़वाह मशहूर है। तब से फिर यह क़ायदा हो गया है कि जो पण्डित विधवा विवाह के अनुकूल व्यवस्था दे, वह पण्डित नालायक़, अधम और नास्तिक समझा जाता है। और जहां तक बने उसकी जीविका बंद की जाती है। और कोई अपनी विधवा लड़की का विवाह करे, तो वह एक दम जाति बाहर किया जाता है! यद्यपि दुष्ट लोगों ने विधवा विवाह के बन्द करने में कोई बात की कसर नहीं रक्खी, पर तब भी इसका प्रचार थोड़ा बहुत सब देशों में हो गया है। और इस के पक्ष करने वाले भी हजारों मनुष्य हैं। विधवा विवाह प्रायः सब उच्च जातियों और उच्च कुल में हुए हैं, जिन में बहुत से अपनी अपनी जातियों में भी शामिल है। अनुमान होता है कि थोडे दिनों में इसका पूर्ण विचार हो जायगा, क्यों कि सर्कार ने तो इसका कानून कर ही दिया है, अब केवल जाति का झगड़ा बाकी है वह भी शीघ्र नष्ट होने की सम्भावना है। क्यों कि जाति के पुराने वृक्ष सूखते जाते हैं और उनकी जगह नयी पौध लगती जाती है, जो शीघ्र ही हमें अनंत छाया, और मधुर फल देगी। जाति वालों का धर्म यह है कि अपने भाइयों का न्याय करें न कि अन्याय, विधवा-विवाह-वादी जो इस विषय में कई पक्ष करते हैं, उनका विवेचन करना सब जातिवालों का काम है हमारे मत से विधवा विवाह के कारण कोई जाति बाहर नहीं हो सक्ता।

प्रथम विधवा विवाह शास्त्रोक्त है, जब कि हम शास्त्र के अनुसार विधवा का विवाह करते हैं, तो जाति जो और सब बात में शास्त्र का बड़ा आदर करती है, हमारे लिये क्यों शास्त्र को उठा देती है?

द्वितीय, यदि लोक शास्त्र से बढकर हो, तो लोक की रीति से विधवा विवाह कभी अन्याय नहीं है फिर क्यों विधवा विवाह का विरोध जाति वाले करते हैं?

तृतीय, जो कोई विधवा विवाह करे तो वह जाति भ्रष्ट हो जाता है पर जो

खुले आम रण्डी रखते हैं, अथवा गृहस्थ विधवा को रखते हैं उन को जाति में क्यों शामिल रक्खा जाता है ?

चतुर्थ। जो विधवा गर्भ नष्ट करे, वह हत्यारी तो जाति में रहे, पर जो बिधवा विवाह पूर्वक गर्भ रक्षा करे, वह निकाल दी जावे धन्य यह न्याय !

पंचम। जो विधवा गुप्त अथवा प्रकट किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करावे, वह तो जातिस्थ रहे, पर जो शास्त्र से विवाह करे वह जाति भ्रष्ट ?

षष्ठ। मोल का लिया हुआ अथवा गोद का लड़का तो जाति में रहे पर एक ही जाति की विधवा, और विपत्नीक पुरुष से संतान उत्पन्न हो, वह भ्रष्ट हो ?

सप्तम। घर में गुप्त वा प्रगट छोटे भाई की स्त्री, बड़े भाई की स्त्री और अन्य सम्बन्धी विधवा स्त्रियों से मैत्री रखने वालों को दण्ड नहीं, पर विधवा से विवाह मात्र करने से जातिच्युत होजाता है ?

अष्टम। यह साठ लक्ष बाल विधवायें आप की जाति में हैं अथवा नहीं ? यदि हैं तो इनके दुःख दूर करने का क्या उपाय है ? यदि कुछ उपाय नहीं तो सब को एक बड़े मैदान में खड़ा कर के तोपों से उड़ा दीजिये। या जहाज़ों में बिठालकर समुद्र में डुबा दीजिये। नहीं तो एक एक पैसे का संखिया दे दीजिये। बस उनका दुःख मिटे।

यदि जात वाले पंच और परमेश्वर हैं यदि जाति वाले मुन्सिफ़, और वास्तव में जाति के शुभचिन्तक हैं तो विधवाओं का इन्साफ़ करें और यदि इन्साफ़ न करेंगे, तो प्रथम तो लोक में सुशिक्षित समाज में निन्द्य होंगे, फिर द्वितीय परलोक में यमराज दण्ड देंगे, तृतीय 'अबलस्य बलं' राजा गवर्नमेन्ट प्रबंध करेगी। और चतुर्थ, यदि बेइन्साफ़ी से किसी विधवा विवाहकारी को जातिच्युत करेंगे तो अदालत 'हतक इज्ज़त' में ख़बर लेगी। पंचम विधवाओं के ऊपर दया करने वाले भी बहुत बढ़ते जाते हैं, बिरादरी में दो दल होंगे, तब थोड़े दिनों में अगत्या मानना पड़ेगा इससे सम्पूर्ण हिन्दू जाति मात्र को उचित है कि इसका अपनी अपनी जाति में विचार करें।

दूसरा कारण विधवा विवाह के अप्रचार का यह है कि इसका पूरा पूरा वृत्तान्त सर्वसाधारण को विदित नहीं, न सर्वसाधारण इसकी आवश्यकता समझते, न यह जानते हैं कि कैसे यह सम्भव होगा इस लिये सर्वसाधारण देशोपकारी

पुरुषों को उचित है कि इसका विशेष आन्दोलन किया जाय। पत्र और पुस्तकें छापी जायें, जिस्से सब कोई विधवाओं के दुःख दुर्दशा को जाने, बड़े २ शहर और ग्रामों में वक्तृतायें की जायें, जो कोई किसी कुल में विधवा हो जाय, उसके विवाह के लिये दस बीस आदमी उद्योग करें जाति वालों को समझा बुझाकर काम निकालें। जातिच्युतों को जाति में मिलाने के लिये उपाय करें। कोई काम हो, बिना घोर आन्दोलन किये, बिना कष्ट सहे, बिना स्वार्थ परित्याग किये नहीं हो सकता, यदि देश हितैषी केवल बात चीत, और प्राईवेट उपायों से चाहें कि विधवाओं का दुःख मिटे, तो हज़ार वर्ष में भी नहीं मिटेगा। यह दुःख के कारणों का समूह एक दो दीपकों से नहीं जल सकता इसके लिये घोर दावानल चाहिये, तब कहीं पता लगेगा।

हे महानुभाव हिन्दू महाशयो! यह आप के आगे विधवाओं के दुःख की कथा बहुत संक्षेप से वर्णन की, और उसके निवारण का उपाय पुनर्विवाह का भी वर्णन किया, और उसकी दृढ़ता के लिये युक्तियां और प्रमाण भी दिये, अब क्या और भी कुछ कहना आप को बाक़ी है? क्या और भी समय की प्रतीक्षा आप को करना है? या और भी विधवाओं का दुःख देखना आप को अभीष्ट है? मेरी बुद्धि में अब नाव के ऊपर तक पानी भर गया है, दुःख का समुद्र बे तरह लहरे ले रहा है, अन्धकार चारों तरफ़ से घिरता आता है नाव के आरो-हियों में त्राहि त्राहि मच रहा है, इस कठिन दुस्समय में कमर बांध कर होशि-यारी से कर्णधार का काम करो, जिस प्रकार बनें यह साठ लक्ष विधवाओं की नौका बचाओ! यदि न बचाओगे तो फिर आप के हाथ में सिवाय रोने के और कुछ न रहैगा। हे ब्राह्मण पंडित महाशयो अब आप की निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंच गई, अब ऐसा समय नहीं रहा! अब राजा और प्रजा दोनों में मनुष्य की प्राण रक्षा बहुमूल्य समझी जाती है, आप का हठ बहुत दिन नहीं चलेगा, आप दीन दुःखित विधवाओं का क्यों शाप लेते हैं? हे राजा महाराजाओ! मनुष्य की प्राण रक्षा करना आप का प्रधान काम है, क्या इन दुःखित बाल विधवाओं का संतोष करना आप का कर्तव्य नहीं है! क्या यह आप की प्रजा नहीं है? हे विधवा विवाह के विपक्षी गण! हे अन्याय के आश्रय दाता जन! यह अंधेर बहुत दिन नहीं चलेगा, ज्ञान का सूर्य्य उदय होता आता है, स्वतंत्रता भारत में बढ़ती

जाती है, स्त्रियों की दशा बदलती जाती है, क्या आप को विश्वास है कि भारत की उन्नति के साथ विधवा विवाह का निषेध भी उन्नति को प्राप्त होता जायगा ? यह आप का भ्रम है ? वह समय दूर नहीं है जब कि स्त्रियां स्वतंत्र होकर विधवाओं का पुनर्विवाह करेंगी, और गवर्नमेंट से सहायता लेंगी ! तब आप रोते ही रह जायंगे ! अतएव इस विषय में आप क्यों वृथा बाधक बनते हैं, यदि देश का अहित, मनुष्य जाति को दुःख और विधवाओं को यंत्रणा देना ही आप का अभीष्ट है, तो ईश्वर आप का मनोरथ नष्ट करे ! हे सर्व शक्तिमान् जगदीश्वर ! हे करुणा वरुणालय ! हे भक्तवत्सल। इन भारतवर्ष की साठ लक्ष बाल विधवाओं का सिवाय आप के और कोई सहायक नहीं, सब जीव मात्र के सुख का साधन आपने बना दिया है, विधवाओं को जो कुछ दुःख दुर्दशा है वह आपके हृदय को गलाने वाली है फिर आप क्यों इसकी उपेक्षा कर रहे हैं ? क्यों नहीं हिन्दुओं के हृदय में दया का श्रोत बहाते ! क्यों नहीं विधवाओं को इतना बल देते, जो वह अपने आप रक्षा करसकें हे दया मय प्रभो ! क्या आप को अपनी कन्याओं का दुःख देखकर दया नहीं आती, क्या आप भी विधवाओं के लिये हिन्दुओं के समान कठोर चित्त हो गये ? यदि आप का भी यही हाल है तो फिर यहीं से निराशा का राज्य है, निरानन्द का अधिकार है, और निर्दयता का एक शेष है। बस इस सृष्टि का प्रलय हो जाय पृथ्वी विदीर्ण होकर कण कण पाताल में चली जाय ! आकाश के चन्द्र सूर्य्य, तारागण टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ें और भारत की दीन, दुःखित साठ लक्ष बाल विधवाओं की अशेष यंत्रणा भी इसी के साथ शेष हो ! ! !

इति प्रथमभाग समाप्तम् ।

विधवा विवाह विवरण।

द्वितीय भाग।

हिन्दू जाति में इस समय अनेक मत प्रचलित हैं, परन्तु उन में स्मार्त, वैष्णव, शैव, शाक्त, मुख्य हैं। स्मार्त, और शैव, इनमें उपासना के भेद के व्यतिरिक्त और बातों में एकता है। शाक्त लोग बाहर से स्मार्ताचार को प्रबल रखकर भीतर से तांत्रिक आचार को आचरण करते हैं वैष्णव, और स्मार्तों के आचार सिद्धांत सब में विरोध है। इन सब में इतना विरोध रहते भी वेद, स्मृति, तंत्र, पुराण, महापुराण महाभारत, रामायण, षट्दर्शन, षडङ्ग, आदि सर्व आर्ष ग्रन्थ सर्व मतवादी मानते हैं यह बात बहुत स्थूल है कि कोई मतवादी कोई बात कहें, बिना शास्त्रीय प्रमाण के न कहेंगे इसीसे हम लोगों को शास्त्र समुदाय ही परम विश्वास के योग्य है। शास्त्रों में भी धर्मशास्त्र जो मन्वादि प्रोक्त हैं, वह सर्वमान्य हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त सभी मतानुयायी एक स्वर से धर्म शास्त्र की मर्यादा करते हैं। हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म, हमारे व्यवहार हमारे दायभाग आदि सब कार्य्य धर्मशास्त्रों से ही सिद्ध होते हैं इस बात का लिखना बाहुल्य मात्र है कि धर्मशास्त्र ही हमारे जीवन समुद्र में नौका है! पुरुष हो चाहें स्त्री हो, दोनों हीं धर्म शास्त्र की आज्ञा के मानने वाले हैं। पुरुष और स्त्री का पवित्र संयोग जो "विवाह" है वह भी धर्म शास्त्र ही पर निर्भर है। और इस संयोग के भंग होने पर भी जो दोनों का कर्तव्य है, वह भी शास्त्र से ही जाना जाता है। पति के मरने पर स्त्री के लिये चार व्यवस्था हैं, अर्थात पति के साथ सती होना, वा ब्रह्मचर्य करना, वा अक्षता हो तो पुनर्विवाह कर लेना, क्षता हो और पुत्र नहो तो नियोग करना, पति के साथ सती होने और ब्रह्मचारिणी रहने पर किसी को कुछ विवाद नहीं है, केवल पुनर्विवाह और नियोग पर इस समय के पण्डितों में विवाद है। कलकत्ते के परम विद्वान मान्यवर पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, तथा स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाशय, इन्दौर राज्य के दीवान रघुनाथराव बहादुर प्रभृति कई पण्डितों ने इस विषय में व्यवस्था

यें दी हैं हम उन्ही से संक्षेप करके पुनर्विवाह और नियोग के प्रमाण लिखते हैं।

मनुः अ० ९ श्लोक १७५—७६

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया।
उत्पाद येत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते॥
साचेदक्षत योनिःस्याद् गत प्रत्यागता पिवा।
पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनस्संस्कार मर्हति॥

जिस को पति ने छोड़दी हो, वह अथवा विधवा स्त्री जो अपनी इच्छा से फिर भार्य्या होकर पुत्र उत्पन्न करावे वह पुत्र पौनर्भव कहलाता है। वह यदि अक्षत योनि हो, और पति के निकट गई आई भी हो तो, पौनर्भव पति के साथ उसका फिर विवाह संस्कार हो सक्ता है।

पाराशरः अ० २ श्लोक ३१

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवेच पतिते पतौ।
पंचस्वापत्सु नारीणाम्पति रन्यो विधीयते॥

पति कहीं चला जाय, मरजाय, सन्यासी होजाय, नपुन्सक हो, पतित होजाय तो पांच आपत्तियों में स्त्रियों का दूसरा पति विधान होता है।

बशिष्टः १७ अ०

पाणिगृहे मृते बाला केवलम्मन्त्र संस्कृता।
साचेदक्षत योनिस्यात् पुनस्संस्कार मर्हति॥

पति मरजाय, और कन्या केवल मंत्र संस्कृत है, अथ च अक्षत योनि है तो फिर संस्कार (विवाह) के योग्य है।

नारदः

उद्वाहिता ऽपिसा कन्या नचेत् सम्प्राप्त मैथुना।
पुनः संस्कार मर्हेत यथा कन्या तथैव सा॥

विवाही हुई कन्या भी यदि मैथुन को प्राप्त न हुई हो, तो फिर संस्कार के

योग्य है, जैसी कन्या, वैसी ही वह है।

नारदः अ० १२

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवेच पतिते पतौ।
पंचस्वा पत्सुनारीणा म्पतिरन्यो विधीयते॥
अष्टौ वर्षा राय पेक्षेत ब्राह्मणी प्रोषित म्पतिम्॥ ९७॥
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्॥
क्षत्रिया षट् समास्तिष्टेद प्रसूता समात्रयम्॥ ९८॥
वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वे वर्षे त्वितरा वसेत्॥
न शूद्रायाः स्मृतः काल एषः प्रोषित योषिताम्॥ ९९॥
जीवति श्रूयमाणेतु स्यादेष द्विगुणो विधिः॥
अप्रवृतौतु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजापतेः॥ १००॥
अतोन्य गमने स्त्रीणामेष दोषोन विद्यते।

पति का पता न लगे, मरजाय, संन्यासी होजाय, नपुन्सक हो, पतित होजाय तो पांच आपत्तियों में स्त्रियों का दूसरा पति विहित है। ब्राह्मणी परदेश गये हुए पति की आठ बरस प्रतीक्षा करे। ९७। सन्तान न हो तौ चार बरस फिर दूसरे का आश्रय करे। क्षत्रिया छः बरस, सन्तान न हो तौ तीन वर्ष,। ९८। वैश्या चार वर्ष सन्तान न हो, तो दो वर्ष। शूद्रा के लिये कुछ काल की अवधि नहीं है, यह काल प्रोषित भर्तृकाओं के लिये है,। ९९। पति जीता हुआ सुना जाय, तो इससे द्विगुण वर्षों का विधान है। भूतों की अप्रवृति में यह प्रजापति की दृष्टि है। १००। इससे अन्य पति के निकट गमन करने में दोष नहीं है।

बौधायनः।

निसृष्टो वाहतो वापि यस्या भर्ता म्रियेत वा।
साचे दक्षत योनिस्स्याद् गत प्रत्या गता पिवा॥
पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कार मर्हति।

जिसका भर्ता निसृष्ट (पता न लगे) वा मारा जाय, वा मर जाय यदि वह अक्षतयोनि हो, वा पति के निकट गई आई भी हो, तौ पौनर्भव विधि से उसका फिर संस्कार होना योग्य है।

ऋ० मं० १० सू ४० ऋ० २

कुहस्वि द्दोषा कुहवस्तोरश्विना कुहाभि पित्वं करतः कुहोषतुः ।
कोवांशयुत्रा विधवेव देवरं मर्य्यंन योषा कृणुते सधस्य आ ॥ २ ॥

हे अश्विनी कुमारो रात को कहां होते हो ? दिन में कहां होते हो ? कहां प्राप्ति करते हो ? कहां रहते हो ? कौन वेदी पर बुलाता है ? जैसे शयन में विधवा देवर को, अथवा स्त्री मनुष्य को।

तैतिरीये आरण्य के ६ प्रपाठ के १ अनुवाकः।

उदीर्ष्व नार्य्यभि जीवलोक मिता सुमेत मुप शेष एहि ॥
हस्त ग्राभस्य दिधिषो स्त्व मेतत् पत्युर्जनित्व मभिसम्बभूथ ॥

हे नारि ! तू इस मृतक पति के समीप सोती है, सो उठ ! और इस जीव लोक के आगे आव ? पुनर्विवाह की इच्छा करनेवाले पाणिग्राही पति के इस पत्नीत्व को प्राप्त हो।

अथर्व०वेदे प० २०४ श्लोक २७

या पूर्वं पति म्बित्वा थान्यम्बिदते परम् ।
पंचौ दनंच तावजं ददातोन वियोषतः ॥
समान लोको भवति पुनर्भुवा परः पतिः ।

जो स्त्री पूर्व पति को छोड़कर दूसरे को प्राप्त करती हैं, वह तुल्य पञ्चौदन व करे को दे तौ कभी वियुक्त नहीं होते पुनर्भू का दूसरा पति उस के समान लोक होता है। इन प्रमाणों में से मनु के प्रमाण के विषय विपक्षी लोगों का यह कथन है कि यदि च मनु ने एक स्थान में पौनर्भव पुत्र का विधान किया है, तथापि मनु ने दूसरे स्थानों में विधवा के नियोग अथवा विवाह का निषेध किया है तथाहि।

न द्वितीयश्च साध्वीनाङ्क चिद्भर्तोपदिश्यते ।

और

नोद्वाह केषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित ।

न विवाह विधा वुक्तम्विधवा वेदनम्पुनः ॥

साध्वी स्त्रियों को दूसरे भर्ता का विधान कहीं नहीं है। न विधवा के मंत्रों में कहीं नियोग कहा गया है न विवाह की विधि में कहीं विधवा का विवाह कहा है। इसका उत्तर इतना मात्र है कि न 'द्वितीयश्च' श्लोकार्द्ध का तात्पर्य्य प्रकरण बल से केवल इतना हो सक्ता है।

मनु० अ० ५

मृते भर्तरि साध्वीस्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः । १६० ।
अपत्यलोभाद्यातुस्त्री भर्त्तारमतिवर्त्तते ।
सेह निन्दा मवाप्नोति पति लोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्य परिग्रहे ।
न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद् भर्त्तोपादिश्यते ॥ १६२ ॥

पति के मरने पर सुशीला स्त्री ब्रह्मचर्य्य में स्थित रहे तो वह बिना पुत्र के भी स्वर्ग को जाती है। जैसे ब्रह्मचारी स्वर्ग को जाते हैं। संतान के लोभ से जो स्त्री पति का अतिक्रमण करती हैं, वह यहां निन्दा को प्राप्त होती है, और पतिलोक भी उसे नहीं मिलता। न और की उत्पन्न की हुई प्रजा है न और की स्त्री में न सुशीलाओं का कहीं दूसरा पति कहा गया है।

तात्पर्य्य यह है कि कोई स्त्री पुत्र के लोभ से पति के रहते वा पीछे बिना विधान के और से संतान उत्पन्न करावे और उसे पति न माने। पर इस से विहित पुनर्विवाहित पति, वा नियुक्त पति का निषेध नहीं हो सक्ता। रहानो 'द्वाहिकेषु' इत्यादि सो वह भी कुछ बाधक नहीं, प्रकरण देखिये-

नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् ।

नो द्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।
न विवाह विधावुक्तं विधवा वेदनम्पुनः ।
अयं द्विजैर्हि विद्विद्भिः पशु धर्मो विगर्हितः ।
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यम्प्रशासति ।
स मही मखिलाम्भुञ्जन् राजर्षि प्रवरः पुरा ।
वर्णानां संकरश्चक्रे कामो पहत चेतनः ।
ततः प्रभृति यो मोहात् प्रमीत पतिकांस्त्रियम् ।
नियोजयत्य पत्यार्थे तं विगर्हन्ति साधवः ।

देवर अथवा सपिण्ड के भिन्न और किसी में द्विजोंको विधवा का नियोग नहीं करना चाहिये, और किसी में नियोग करने से सपिण्डता वा कुलीनता रूप सनातनधर्म का नाश करेंगी, विवाह से मंत्रों में देवर वा सपिण्ड के भिन्न नियोग नहीं कहा गया है, परन्तु कहीं (कुहस्विद्दोषादि मंत्रों में) कहा है, न विवाह की विधि में बिधवा का विवाह कहा गया है परन्तु फिर कहा जायगा "यापत्या वा परित्यक्ते" त्यादि में यह कुलातिरिक्त नियोग विद्वान् जनों ने पशु धर्म और निन्द्य कहा है पर वेन के राज्य के शासन में सब मनुष्यों का धर्म भी नियोग कहा गया था। उस राजर्षि प्रवर ने सम्पूर्ण पृथ्वी को भोगते वर्णों का संकर किया क्योंकि वह कामातुर था। तब से जो कोई मृतक पति की स्त्री को अन्य देवर सपिंड भिन्न में नियोग करता है, उसकी साधु जन निन्दा करते हैं। (१)

---

(१) अत्रायमर्थः-अन्यस्मिन् देवर सपिण्डातिरिक्ते पुरुषे द्विजातिभिर्विधवा नारी न नियोक्तव्या अन्यस्मिन्हिनि युंजाना सनातनं कुल धर्मं हन्युः। उद्वाहिकेषु मंत्रेषु अयं नियोगो न, (कीर्त्यंते) किंतु क्वचित् कीर्त्त्यंते एव यथा (कुहस्विद्दोषेत्यादिषु) बिधवा वेदनं विवाह विधौनोक्तं किन्तु पुनर्वाच्यम् (या पत्या वा परित्यक्ते त्यादिना) अयं देवर सपिण्डाद्यतिरिक्ते नियोगः विद्वद्भिर्द्विजैः पशु धर्मो विगर्हितश्च प्रोक्तः। वेने राज्यं प्रशासति मनुष्याणामपि धर्मः प्रोक्तः। सो खिलाम्महीम्भुंजन् राजर्षि प्रवरोवेनः अनेन देवर सपिण्डातिरिक्त नियोगेन वर्णानां संक-

पाराशर के "नष्टेमृते" इस वचन के विपक्ष में लोग कई आशङ्का करते हैं। प्रथम, यह वचन विवाहिता के पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं देता वरंच "वाग्-दत्ता" कन्या के पुनर्विवाह की आज्ञा देता है, इस का उत्तर इतना ही पर्याप्त है कि यह केवल कल्पना मात्र है। इस वचन में कोई ऐसा शब्द नहीं है, जिसका ऐसा आशय समझा जाय। "नारीणां" इससे कन्या का स्पष्ट प्रतिषेध है। फिर नारद स्मृति में भी "नष्टे मृते" इत्यादि बचनों से इसकी पोषकता की गई है। विशेषतः पराशरस्मृति के प्रकरण के अनुसंधान से भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि इसी के आगे श्लोक में कहा गया है।

मृतेभर्त्तरि या नारी ब्रह्मचर्य्ये व्यवस्थिता।
सामृता लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः।

पति के मरने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य्य में रहती है वह मरकर स्वर्ग को जाती है जैसे ब्रह्मचारी जाते हैं। उसके आगे यह कहा है।

तिस्रः कोट्योर्द्ध कोटिश्च यानि लोमानि मानवे।
तावत् कालम्वसेत्स्वर्ग म्भर्तारं यानु गच्छति।

साढ़े तीन करोड़ जितने रोम मनुष्य में हैं उतने दिन वह स्वर्ग में रहती है जो पति के सह गमन करती है। क्या यह ब्रह्मचर्य्य, और सहगमन भी वाग्दत्ता के लिये ही विधान है? जैसा कि विपक्षी बागदत्ता के लिये अन्य पति का विधान बतलाते हैं।

द्वितीय आशङ्का यह है कि यह वचन और युग के लिये है कलियुग के लिये नहीं, यह भी पराशरस्मृति के देखने से ही खण्डन होता है, पाराशर जी कहते हैं।

कृते तु मानवा धर्मा स्त्रेतायांगौतमाः स्मृताः।
द्वापरे शङ्ख लिखिताः कलौ पाराशर स्मृतिः।

रश्चक्रेयतः कामोपहत चेतन आसीत्। ततः प्रभृति यो मोहात् प्रमीत पतिकां-स्त्रियम देवर सपिण्डातिरिक्ते जने नियोजयत्ति तं साधवः वेन मिव निगर्हन्ति, कुल दोषात् अर्थान्तरेत्वनेकेतिहासोक्त सनातन नियोग विधेर्दोषापत्तेः वह घस्तुनो द्वाहि केत्यादीनि प्रक्षिप्ता नी.ति मन्यन्ते वेन राज्ञो मनोः परवर्तित्वात्।

सत्युग में मनुस्मृति, त्रेता में गौतमस्मृति, द्वापर में शङ्ख तथा लिखित स्मृति और कलियुग में पाराशरस्मृति धर्मशास्त्र है।

तृतीय आशङ्का यह है कि यह वचन मनु के विरुद्ध हैं, किन्तु हम इस के पूर्व मनु की स्पष्ट आज्ञा इस विषय में दिखला चुके हैं। फिर यदि मनु के विरुद्ध ही हो, तो क्या पाराशर मान्य नहीं? कोई ऐसा नियम धर्मशास्त्र में नहीं, कि मनु के सिवाय और कोई स्मृति मान्य ही नहीं। फिर इस बचन को माधवाचार्य्य पाराशरभाष्य में मनु का लिखते हैं, क्योंकि यह वचन नारदस्मृति में हैं, और नारद स्मृति मनु के ही अन्तर्गत है, यह आगे दिखलावेंगे।

चतुर्थ आशङ्का यह है कि इस वचन की विवाह विधि वेद के प्रतिकूल है। क्योंकि वेद में कहा है।

यदे कस्मिन् यूपे द्वेरशने परिव्ययतितस्मादेको द्वेजाये विन्दते, यन्नैकां रशाना द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका द्वौपती विन्दते।

जैसे एक यूप (जूआ) में दो रस्सियां बांधी जा सकती हैं, इस से एक पुरुष दो स्त्रियां विवाह कर सक्ता है, पर एक रस्सी दो जुओं में नहीं बांधी जा सकती इस से एक स्त्री दो पति नहीं विवाह कर सकती।

इस का तात्पर्य्य केवल इतना मात्रहै कि जैसे एक समय एक जुए में दो रस्से बँध सकते हैं, वैसे एक रस्सी एक समय में दो जुओं में नहीं बांधी जासक्ती, इससे केवल एक समय में दो पतियों का निषेध है, न कि समय के भेद से यही सिद्धांत महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने एक दूसरी श्रुति के अनुसार किया है।

नैकस्याः वहवः सहपतयः।

एक के वहुत से पति नहीं हो सक्ते।

सहेतियुगपद् वहु पतित्व निषेधो विहितो न तु समय भेदेन।

सह पद से एक साथ बहुत से पतियों का निषेध है न कि समय भेद से।

पंचम आशङ्का यह है कि यह बचन पराशर का नहीं है शंख का है क्योंकि इस के पहले यह श्लोक है।

ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठे दाधानन्नैव चिन्तयेत्।
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा॥

ज्येष्ठ भ्राता यदि जीता हो तो अग्न्याधान के लिये चिन्ता न करे। यदि ज्येष्ठ आज्ञा दे तो करे, जैसा कि शंख का बचन है। प्रतिवादी शंख के बचन के स्थान में 'नष्टे मृते' वचन को बतलाते हैं। परन्तु शंखस्मृति में इस 'नष्टे मृते का' कहीं पता तक नहीं है, यह बचन कैसे शंख का हो सक्ता है? विशेषतः ऐसा अर्थ करना केवल हठधर्मी है,

क्योंकि धर्मशास्त्र की परिपाटी यह है कि प्रथम बचन लिखकर तब वक्ता का नाम लिखते हैं जैसा कि मंत्र संहिता में भी इसी विषय में कहा है।

ज्येष्ठो भ्राता यदानष्टो नित्यं रोग समन्वितः।
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा॥

ज्येष्ठ भ्राता यदि कहीं चला जाय, वा नित्य रोगी हो तो, आज्ञा लेकर कनिष्ट अग्न्याधान करे जैसा कि शंख का वचन है।

षष्ठ आशङ्का यह कि यह वचन पराशर का नहीं हैं। कल्पित है, क्योंकि–

*[१] यदि विधवा विवाह पराशर को सम्मत होता, तो फिर अपनी स्मृति में वैधव्य को दण्ड न लिखते।

[२] पति के नपुंसक होने पर यदि पुनर्विवाह, स्त्रियां करसक्तीं तो फिर यह क्षेत्रज पुत्र कहां से होता?

इसका इतनाही उत्तर है कि जो मनुष्य जिस के पास रहता है, उससे उसकी प्रीति हो ही जाती है। जैसा कि पुरुष स्त्रियों के मरने पर दूसरा विवाह कर सक्ते हैं, पर तब भी उनको दुःख होताही है, इसी प्रकार स्त्रियों का पुनर्विवाह प्रचलित हो जाय, तो क्या उन को पहले पति के मरने पर दुःख न होगा? और क्या यह सामान्य दण्ड है कि बना बनाया घर बिगड़ जाय? रहा क्षेत्रज पुत्र सो यदि कोई नपुंसक अपने वंश की रक्षा के लिये क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करावे, वा गुप्त क्षेत्रज हो वा नियोग का क्षेत्रज होतो वह कहां जायगा?

सप्तम आशङ्का यह है कि 'नष्टे मृते' श्लोक में पुनर्विवाह का विधान नहीं हैं, वरञ्च निषेध है क्योंकि

"पति रन्योऽविधीयते"

इसमें अविधीयते ऐसा प्रश्लेष है, परन्तु यह असंगत है, क्योंकि आख्या–

तिंक क्रिया के साथ नञ् समास नहीं होती। और यदि 'अ विधीयते' के 'अ' को अव्यय मानें तो फिर संधि नहीं हो सक्ती।

अष्टम आशङ्का यह है कि विधवा विवाह यदि पराशर को सम्मत होता तो वृद्ध पाराशर में पुनर्भू के अन्न का निषेध क्यों करते ?

अन्यदत्तातु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते।
तस्या अपि न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा प्रकीर्तिता ॥

और को दी हुई कन्या, यदि और को दी जाय, तो उसका भी अन्न भोजन नहीं करना चाहिये, क्यों कि वह 'पुनर्भू' है इसमें इतना ही वक्तव्य है कि अन्न भोजन निषेध करने से कुछ वह निषेध नहीं हो सक्ता। एक वाक्य अंगिरा का है।

अवीरायाश्च यो भुंक्ते सभुंक्ते पृथिवी मलम्।

अवीरा जिस बिधवा को कोई संतान न हुई हो, उसका जो अन्न भोजन करें वह पृथ्वी का मल भोजन करता है। तो क्या यह बिधवा अभोज्यान्न नहीं है ? तब विवाहिता में क्या दोष है ? फिर श्लोक में 'कन्या' पदसे 'वाग्दत्ता' कन्या का विधान है, न कि विवाहिता का विशेष बृहत् पराशर संहिता सुव्रत ने संग्रह की है यदि कहीं कुछ विरोध भी हो, तो पाराशर के मूल वचन में कुछ दोष नहीं आ सक्ता।

नवम आशंका यह है कि इस श्लोक में 'पतौ' शब्द जो है, वह व्याकरण से सिद्ध नहीं हो सक्ता। और यदि सिद्ध भी हो तो गौणपति का वाचक होगा, अर्थात् जिसे वाग्दान हुआ हो, न कि मुख्य पति, इसका उत्तर इतना मात्र बहुत है यह 'पतौ' पद 'पतिरित्या ख्यातः' पतिः इस विग्रह से नाम धातु बना है इसमें 'पतिः समास एव' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं।यही सिद्धांत परम वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित ने मनोरमा में किया है।

अब नारद स्मृति के 'नष्टे मृते' इत्यादि श्लोकों के विषय कोई कोई विपक्ष यह आशङ्का करते हैं कि नारद स्मृति धर्म शास्त्र नहीं, यह, केवल व्यवहार है। वह कृपा पूर्वक निम्नोक्त वचन पढें।

इहहि भगवान् मनुः प्रथमं सर्वं भूतानुग्रहार्थ माचार स्थिति हेतु भूतं शास्त्रञ्च- कार यत्र लोकसृष्टि भूतप्रविभाग स्सदेश प्रमाणं पर्षल्लक्षणं, वेद वेदाङ्ग यज्ञ

विधान, माचारो, व्यवहारः कराटक शोधनं, राजवृत्तं, वर्णाश्रम विभागौ, विवाह न्यायः स्त्री पुंस विकल्पो, दायानुक्रमः श्राद्ध विधानं, शौचाचार विकल्पो, भक्ष्याभक्ष्य लक्षणं, विक्रेया विक्रेयमीमांसा पातक भेदाः, स्वर्ग नरकानु दर्शनं, प्रायश्चित्तान्यु-पनिषदोरहस्य स्थानानि, एवं चतुर्विंशति प्रकरणानि ॥ १ ॥ तदेतदत्रश्लोक शत सहस्रेण, साशीतिना ध्याय सहस्रेण च भगवान्मनुरुप निवध्य देवर्षये नारदाय प्रायच्छत् । सच तस्मा दधीत्य महत्वान्नायं ग्रंथः सुकरो मनुष्यैरेवधार यितु मिति द्वादशभिः सहस्रैः संचिक्षेप । तच्च महर्षये मार्कण्डे याय प्रायच्छत् ॥ २ ॥ सचतस्मा दधीत्य तथैवायुः शक्ति मपेक्ष्य मनुष्याणा मष्टभिः सहस्रैः संचिक्षेप, तच्च सुमतये भार्गवाय प्रायच्छत् ॥ ३ ॥ सुमति रपि भार्गवस्तस्मा दधीत्य तथैवा युर्ह्रासा दल्पीयसीं शक्तिर्मनुष्याणामिति चतुर्भिः सहस्रैः संचिक्षेप ॥ ४ ॥ तदेतत् पितृ मनुष्याह्यधीयन्ते विस्तरेण शतसहस्रन्देव गंधर्वादयः तत्रायममाद्यः श्लोक आसीदिदंतमोभूतं न प्राज्ञायत किञ्चन । ततः स्वयम्भूर्भगवान् प्रादुरासीच्चतुर्मुखः इत्येवमधिकृत्य क्रमात् प्रकरणात् प्रकरण मनुक्रान्तम् तत्र नवमं प्रकरणंव्यवहारो नाम यत्रे ममादौ देवर्षिनारदः सूत्रीयाम्मातृकाश्चकार ।

भगवान् मनु ने प्रथम सर्व जीवों के अनुग्रह के अर्थ आचार की स्थिति के निमित्त शास्त्र रचना किया । जिसमें लोकसृष्टि|भूत|विभाग सद्देश प्रमाण, सभा लक्षण, वेद वेदांग, यज्ञ बिधान, आचार, व्यवहार, कण्टक शोधन, राजवृत, वर्णाश्रम विभाग, विवाह, न्याय, स्त्री पुंसविकल्प, दायानुक्रम श्राद्ध विधान, शौचाचार विकल्प, भक्ष्याभक्ष्य लक्षण, विक्रेया विक्रेय मीमांसा, पातकभेद, स्वर्ग नरक प्रायश्चित उपनिषद रहस्य स्थान, ऐसे चौबीस प्रकरण हैं ॥ १॥ सो यह एक लक्ष्य श्लोक वा एक हज़ार अस्सी अध्याय द्वारा भगवान मनु ने रचना कर के देवर्षि नारद को दिया। नारद ने मनु से पढ़कर और यह देखकर कि विस्तृत होने से यह ग्रन्थ मनुष्य नहीं पढ सकेंगे, बारह हज़ार श्लोकों में संक्षेप किया । और उसे महर्षि मार्कण्डेय को दिया ॥ २ ॥ मार्कण्डेय ने नारद जी से पढ़कर और मनुष्यों की आयु तथा शक्ति देखकर आठ हज़ार में संक्षेप किया । और उसे सुमति भार्गव को दिया ॥ ३ ॥ सुमति भार्गव ने भी मार्कण्डेय से पढ़कर मनुष्यों की आयु तथा शक्ति देखकर चार हज़ार में संक्षेप किया ॥ ४ ॥ सो यह पितृ मनुष्य पढ़ते हैं, और विस्तार पूर्वक लक्ष श्लोक देव गन्धर्वादि पढते हैं। जिसका यह पहिला श्लोक है,

यह पहले अन्धकार था, कुछ नहीं जाना जाता था, तब स्वयम्भू भगवान चतुर्मुख प्रगट हुए, इस प्रकार क्रम से प्रकरण के अनन्तर प्रकरण कहा। उसमें नवम प्रकरण 'व्यवहार' नाम है जिसका प्रथम नारदजी ने सूत्र स्थानीय मातृका किया था।

इससे स्पष्ट है कि नारद स्मृति बारह हज़ार श्लोकों में थी जिसका व्यवहार प्रचलित है। क्या सम्पूर्ण धर्मशास्त्र नहीं हुआ? और क्या व्यवहार धर्म नहीं है? और क्या नारदजी का वाक्य मान्य नहीं है? और क्या स्त्री संयोग व्यवहार नहीं है? और जब विपक्षी मनु के व्यवहार का प्रमाण निषेध में देते हैं, तो क्या नारद के विधि का प्रमाण विधिमें न मानेंगे।

पुनर्विवाह के भिन्न और अवस्थाओं में भी स्त्रियों के दूसरे विवाह करने की आज्ञा है।

कात्यायनः

सतुयद्यन्य जातीयः पतितः क्लीव एव वा।
विकर्मस्थ : सगोत्रो वा दासो दीर्घामयो पिवा।
ऊढ़ापि देया सान्यस्मै सप्रावरण भूषणा।

जो वर अन्य जाति का हो, पतित हो, क्लीव हो, विकर्म हो, सगोत्र हो, दास हो, दीर्घामय हो, तो विवाहिता कन्या भी दूसरे को दे देनी चाहिये, और उस से दायजा वा आभूषण भी छीन लेने चाहिये।

शातातपः

वरश्चेत् कुलशीलाभ्यां न युज्येत कदाचन।
न मंत्राः कारणं तत्र न च कन्या नृतं भवेत्।
समाच्छिद्यतु ताङ्कन्याम्बलादक्षत योनिकाम्।
पुनर्गुणवते दद्यादिति शाता तपोऽब्रवीत्।

वर यदि कुल शील से युक्त न हो, तो न उसमें मंत्र कारण है, न कन्या झूठी होती है, बल पूर्वक उस कन्या को छीन कर अक्षत योनि हो तो, फिर गुणवान् को दे शातातप ने कहा है।

याज्ञवल्क्यः

दत्तामपि हरेत् पूर्वा च्छ्रेयां श्चेद्वर आव्रजेत् ।

दी हुई कन्या को भी पहिले बर से छीन ले, यदि उत्तम बर आ जाय ।

इन प्रमाणों में विपक्षी लोग कहते हैं कि यह केवल वागदत्ता पर के प्रमाण हैं परन्तु विचार का स्थान है कि जिस वाग्दान का विपक्षी लोग इतना कोलाहल करते हैं क्या शास्त्र में भी उसका मूल है ? क्या वाग्दान को स्मृतिकारों ने कोई विवाह का अंग माना है ? क्या पहिले समय में भी अबकी तरह सगाई करके लड़की को वर्षों तक विवाह के साहे के भरोसे से बिठला रखते थे ? इन प्रमाणों में स्पष्ट विवाहिता का उल्लेख है । तात्पर्य इससे इतना ही है कि जब पति के जीते द्वितीय पति हो सकता है तब पति के मरने पर अक्षता को द्वितीय पति परिग्रह करना अनुचित नहीं है ।

विशेषतः विवाह के अनन्तर जब तक चतुर्थी कर्म, और स्त्री पुरुष का संयोग न हो जाय, तब तक न स्त्री पुरुष की एकता होती है, न स्त्री सम्भोग के पूर्व पति के गोत्र में मिलती है ।

भव देव भट्ट धृत मनुः

विवाहेचैव निर्वृत्ते चतुर्थे हनि रात्रिषु ।
एकत्व मागता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ।

विवाह निवृत होने पर चौथे दिन रात्रि में पति के देह गोत्र और सूतक में स्त्री की एकता होती है ।

वृहस्पतिः

चतुर्थी होम मंत्रेण त्वङ्मांस हृदयेन्द्रियैः ।
भर्तासंयुज्यते पत्नी तद् गोत्रा तेन सा भवत् ।

चतुर्थी होम के मंत्रों से त्वङ्मांस हृदय इंद्रियों के द्वारा पत्नी का भर्त्ता से संयोग होता है, इससे वह पतिगोत्रा होजाती है ।

लिखितः

विवाहे चैव निर्वृते चतुर्थेहनि रात्रिषु ।

एकत्वं सागता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूत के ।
स्वगोत्राद्भ्रश्यते नारी उद्वाहात् सप्तमे पदे ।
भर्तृगोत्रेण कर्त्त व्यन्दानम्पिण्डादिक क्रियाः ।

विवाह के निवृत्त होने पर चौथे दिन रात्रि में स्त्री पति के पिण्ड गोत्र और सूतक में एक होती है। विवाह में सप्तम पद में, स्वगोत्र से स्त्री भ्रष्ट होती है। तब से प.त के गोत्र से दान पिण्ड क्रिया करनी चाहिये।

विवाह की विधि जो सूत्रकारों ने लिखी है, उस में सम्भोग होने पर विवाह की पूर्णता है और यद्यपि सप्तम पद में पितृ गोत्र नष्ट हो जाता है तथापि बिना सम्भोग के पति के गोत्र की एकता पूर्ण रूप से नहीं होती अतएव यदि सम्भोग न हुआ, और मध्य में ही पति मर गया तो क्या विवाह की अपूर्णता न होगी? और ऐसी अवस्था में क्या पुनर्विवाह नहीं हो सक्ता?

अनेक लोग आशङ्का करते हैं कि पुनर्विवाह के प्रचार से 'दीर्घतमा' का नियम भङ्ग होता है।

(भारते आदि पर्वणि)

अद्यः प्रभृति मर्य्यादा मया लोके प्रतिष्ठिता ।
एक एव पतिर्नार्य्या यावज्जीवं परायणम् ॥
मृते जीवति वा तस्मिन्नापरम्प्राप्नु यान्नरम् ।
अभिगम्य परं न्नारी पतिष्यति न संशयः ॥

आज से मैंने लोक में यह मर्य्यादा प्रतिष्ठित की है, कि एक पति ही नारी को यावज्जीवन परायण है। पति के जीते वा मरने पर दूसरे पुरुष को न स्त्री प्राप्त हो, दूसरे को प्राप्त हो कर स्त्री निस्सन्देह पतित होगी।

यह केवल सामान्य रूप से स्त्रियों के पातिव्रत्य का विधायक है, इससे एक पति के मरने पर द्वितीय पति के साथ पुनर्विवाह का निषेध नहीं हो सक्ता क्योंकि जैसा एक पति के साथ पातिव्रत्य वैसा ही दूसरे पति के साथ भी पातिव्रत्य हो सक्ता है यदि द्वितीय पति के साथ पातिव्रत्य नहीं, तो एक स्त्री मरने पर द्वितीय विवाहिता स्त्री के साथ भी व्यभिचार है।

कोई कहते हैं कि जब पिता एक बार कन्या को एक वर के हाथ दान कर चुका तब फिर उसको दूसरे वर के हाथ कैसे दान कर सक्ता है? इसका उत्तर इतना मात्र है कि 'कन्यादान' कोई वैध दान नहीं। जैसा कि भूमि दान गौ दान आदि हैं। यदि यह प्रतिग्रह है तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में न होना चाहिये, और पिण्ड सगोत्र आदि का निषेध भी उचित नहीं, विशेषतः गुरू पुरोहित आदि ही इसके पात्र होने चाहिये। कन्या दान केवल कन्या को वर के हाथ में अर्पण कर देना मात्र है और जब तक वह वर जीता रहता है, तब तक उस दान का उस से सम्बन्ध है, वर के मरने पर वह दान नष्ट हो गया, तो फिर उसके पिता को वा भ्रातादि को अधिकार है कि उस दान से परावृत कन्या को फिर दूसरे को दान कर दे इसका प्रमाण भी मिलता है।

महा भारते भीष्म पर्वणि।

अर्जुनस्यात्मजः श्रीमानिरावान्नाम वीर्य्यवान्।
सुतायान्नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता॥
ऐरावतेन सा दत्ता ह्यन पत्या महात्मना।
पत्यौहते सुपर्णेन कृपणा दीन चेतना॥

अर्जुन का पुत्र श्रीमान् इरावान् नामक वीर्य्यवान् था जो नागराज की कन्या में बुद्धिमान पार्थ से जन्मा था। वह अनपत्या थी उसे ऐरावत ने उसके पति के गरुड़ द्वारा मरने पर अर्जुन को दे दी, वह कृपणा और दीन चेतना थी।

यदि इस प्रमाण पर भी जी न भरे, तो पुनर्विवाह में कन्यादान की कुछ आवश्यकता नही है, बिधवा का पाणिग्रहण और सप्त पदी संस्कार हो सकता है, वह वर वधू स्वयम् कर सकते हैं।

कोई कहते हैं कि यदि बिधवा का विवाह होगा, तो फिर उसका शाखोच्चार किस गोत्र से होगा? इसमें विशेष कहने की कुछ अपेक्षा नहीं, शाखोच्चार पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम पूर्वक होता है, जब द्वितीय विवाह होगा, तो पिता, पितामहादि का गोत्र परिवर्तन न होगा, विशेष यदि विधवा अक्षता है, तो पति के गोत्र में भी नहीं मिली। जैसा कि पहिले कहा गया है।

बहुत लोग आशङ्का करते हैं कि विधवा का पुनर्विवाह किन मंत्रों से होगा ? इसका उत्तर इतना ही है कि उन्हीं मंत्रों से होगा जिनसे पहिले हुआ था।

मनुः ।

पौनर्भवेन भर्त्रासा पुनः संस्कार मर्हति

पौनर्भव भर्त्ता के साथ पुनः संस्कार के योग्य है।

बशिष्टः ।

साचे दृक्षत योनिस्स्यात् पुनः संस्कार मर्हति

वह यदि अक्षत योनि हो, तो फिर संस्कार के योग्य ह।

विष्णुः ।

अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भूः

अक्षता फिर संस्कार की हुई पुनर्भू है।

याज्ञवल्क्यः ।

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः।

अक्षता वा क्षता हो, और फिर संस्कार की गई हो, तो पुनर्भू है।

इन सब श्लोकों में जब कि पुनर्विवाह को संस्कार कहा है और 'पुनः' पद दिया है, तो स्पष्ट ही पूर्व विवाह ग्रहण है बस तब जैसे पूर्व विवाह हुआ था, वैसे ही दूसरा विवाह होगा। जो कोई कहते हैं कि।

पाणि ग्रहणि का मंत्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः।

ना कन्यासु क्वचिन्नृणां लुप्त धर्म क्रिया हिताः॥

पाणिग्रहण के मंत्र कन्याओं में ही प्रतिष्ठित हैं अकन्याओं में नहीं क्योंकि वह लुप्त धर्म क्रिय हैं।

अकन्याओं में नहीं इससे बिधवाओं का ग्रहण नहीं हो सक्ता, क्योंकि बिधवायें लुप्त धर्म क्रिया नहीं हैं, उनके लिये तो स्पष्ट ब्रह्मचर्य्य का विधान हैं। 'अकन्या' वह है, जो विवाह के पहिले भ्रष्ट हो। रहा कन्या स्वेव (कन्याओं में ही) इसका पूर्वोक्त श्लोकों में अपवाद है।

कोई कहते हैं कि यदि विधवा विवाह किया भी जाय तब भी 'अप्रशस्त कल्प' होगा हम स्वीकार करते हैं। परन्तु जैसे पुरुष का द्वितीय विवाह 'अप्रशस्त' है वैसा ही स्त्री का भी जैसा पुरुष का द्वितीय विवाह आठ विवाहों में नहीं वैसा ही स्त्री का भी नहीं है।

याज्ञवल्क्यः।

अविप्लुत ब्रह्मचर्य्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्।
अनन्य पूर्विकां कान्ता मसपिण्डां यवी यसीम्॥

जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट न हुआ हो, वह सुलक्षणा स्त्री से विवाह करे, जिसका पहिले विवाह न हुआ हो, सुन्दर हो, सपिण्डा न हो, छोटी हो।

बौधायनः

श्रुतिशीलिने विज्ञाय ब्रह्मचारिणे ऽर्थिनेदेया।

श्रुति शील, विज्ञ ब्रह्मचारी, को कन्या दे।

यहां दोनों स्थान में 'ब्रह्मचारी' पद का उल्लेख है, तब अब्रह्मचारी को कैसे कन्या दान होता है। ऐसे ही यदि ब्रह्मचारिणी अक्षता को पुनर्विवाह में ग्रहण करे तो कुछ दोष नहीं, केवल मुख्य गौण का भेद है।

अब एक आशङ्का और की जाती है कि इस विवाह वा नियोग से जो पुत्र होगा उसकी क्या दशा होगी? इस विषय में मनु ने क्षेत्रज और पौनर्भव पुत्र को, एकादश और धनाधिकारी कहा है।

क्षेत्रजा दीन् सुताने कादश यथोदितान्।
पुत्र प्रतिनिधी नाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः॥
श्रेयसः श्रेयसो लाभे पापीयान्कृथ मर्हति।

क्षेत्रजादि ग्यारह पुत्रों को विद्वानों ने पुत्रप्रतिनिधि कहा है क्योंकि इनकी क्रिया लुप्त है उत्तम के अभाव में अधम धन प्राप्त हो सकता है। विशेषतः नियोगजपुत्र तो सदैव सत्वाधिकारी रहे हैं जैसे पांडु धृतराष्ट्रादि।

परन्तु याज्ञवल्क्य ने पौनर्भव को सप्तम और पिण्डदाता भी कहा है।

याज्ञवल्क्यः।

पिण्डदोशहरश्चैषाम्पूर्वा भावे परः परः ।

इन में पूर्वा भाव में पर पिण्ड दाता, और दाय भागी हैं। परन्तु वशिष्ट ने पौनर्भव को चतुर्थ कहा है।

पौनर्भवश्चतुर्थः

और विष्णु ने भी पौनर्भव को 'चतुर्थ' कहा है परन्तु दत्तक से उत्तम कहा है।

विष्णुः

पौनर्भवश्चतुर्थः दत्तकश्चाष्टमः ।

पौनर्भव चतुर्थ, और दत्तक अष्टम है। इससे पौनर्भव पुत्र कुछ अधम नहीं है।

अनेक लोग कहते हैं कि विधवा विवाह यदि सिद्ध भी हो, तो भी कभी मान्य नहीं, क्योंकि पहिले किसी ने नहीं किया, इसका इतना ही उत्तर है कि अर्जुन के विधवा विवाह करने का प्रमाण हम पहिले दे चुके हैं।

अनेक मनुष्य कहते हैं कि यदि विधवा स्त्री पुनर्विवाह करेंगी तो फिर मर जायँगी तब स्वर्ग में किस पति के साथ रहेंगी, पहिले पति के साथ अथवा दूसरे के यदि च यह प्रश्न उपहासास्पद है, तथापि इसका उतर दिया जाता है कि पत्नी पुरुष का अर्द्धाङ्ग, जिस पति के साथ उसने जितना धर्म्माचरण किया है उसी पति के साथ उतने दिन स्वर्ग में रहेंगी। क्रमशः दोनों पतियों के साथ रहेंगी ?

अब यह कि लोकाचार नहीं है, इसका इतना ही उत्तर यथेष्ट है कि यदि यह शास्त्राचार है, तो फिर लोकाचार हो वा नहो।

महाभारत

धर्म्मजिज्ञासमानानाम्प्रमाणम्परमं श्रुतिः ।

द्वितीयं धर्मशास्त्रंतु तृतीयं लोक संग्रहः ॥

धर्म जानने वालों को प्रथम श्रुति परम प्रमाण है, द्वितीय धर्मशास्त्र तृतीय लोक

स्कन्द पुराण

नयत्र साक्षाद्विधयो न निषेधाः श्रुतौ स्मृतौ

देशाचार कुलाचारै स्तत्र धर्मो निरूप्यते ।

जहां श्रुति और स्मृति में न साक्षाद् विधि, और न निषेध है वहां देशाचार कुलाचार से धर्म निरूपण किया जाता है। बस इस शास्त्रीय विधान में लोकाचार का कुछ अधिकार नहीं।

विपक्ष लोगों का यह बड़ा भारी दंश है कि कलियुग में विधवा विवाह या नियोग का निषेध है।

क्रतुः

ऊढायाः पुनरुद्वाहं दत्ता कन्या न दीयते । विधवायाम्प्रजोत्पत्तिः देवरस्य नियोजनम् । वालिका क्षत योन्याश्च वरेणान्येन संस्कृतिः ।

विवाहिता का फिर विवाह, दी हुई कन्या का दान, विधवा में प्रजा की उत्पत्ति, देवर का नियोग अक्षत योनि वा विधवा बालिका का दूसरे वर से संस्कार कलियुग में वर्जित है। पर यह क्रतु न कोई स्मृतिकार न पुराण कर्त्ता है न मालूम यह कौन क्रतु है जो इनका प्रमाण मान्य हो दूसरा वचन आदित्य पुराण में है, और जो स्मृत्यर्थ सार में कहा है

ऊढायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा ।
कलौ पञ्च न कुर्वीत भ्रातृजायाङ्कमण्डलुम् ॥

विवाहिता का फिर विवाह ज्येष्ठांश, गोवध, भ्रातृजाया, और कमण्डलु यह पांच कलि में बर्ज्य हैं।

परन्तु यह आदित्य पुराण कोई पुराण नहीं केवल उप पुराण है न इस श्लोक के सिवाय और कोई श्लोक, न पुस्तक आदित्य पुराण की कहीं मिलती है।

देवलः

समुद्र यातुः स्वीकारः कमण्डलु विधारणम् ।
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानम्परस्यच ।
दीर्घकालम्ब्रह्मचर्य्यम्वर्जयीत कलौयुगे ।

समुद्र में जाने वालों का स्वीकार कमण्डलु का धारण, अक्षता कन्या का पुनर्विवाह,

दीर्घकाल ब्रह्मचर्य्य इन सब को कलियुग में वर्जन करे। इस श्लोक में दीर्घकाल जो ब्रह्मचर्य्य वर्जित किया है, सो क्या स्त्रियों के लिये प्रमाण नही हो सकता ? पुरुष ही ब्रह्मचर्य्य पालन करें ? अस्तु यह सब श्लोक जो पुराणादि के हैं वह श्रुति स्मृति के प्रमाणों को नहीं बाधित कर सकते। व्यास ने कहा है ॥

श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते।
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा ॥

श्रुति स्मृति पुराणों में जहां विरोध है वहां श्रुति प्रमाण है, और जहां स्मृति पुराण विरोध है वहां स्मृति प्रमाण है।

बस श्रुति स्मृति पुराण इतिहासादि से अक्षता बाल बिधवा का पुनर्विवाह और और क्षता का नियोग सिद्ध है।

इति द्वितीय भाग समाप्तम्।

बिधवा विवाह विवरण ।

तृतीय भाग ।

सन् १८५४ का एकट १५

लैजिसलेटिव कौनसिल ने निश्चय किया, उसे भारतवर्ष के गवर्नर
जैनरल साहब ने सन् १८५६ के जुलाई महीने की
२५ वी तारीख़ को मंजूर किया ।

हिन्दू जाति की बिधवा स्त्रियों के विवाह विषयक नियम की सब बाधा दूर करने के लिये एकट ।

ईस्टइण्डिया कम्पनी सर्कार के क़बज़ा तथा आधीन देशों में स्थापित दीवानी अदालतों में जो क़ायदा चला आता है, उस क़ायदे से हिन्दू जाति की कितनी एक विधवा स्त्रियों के सिवाय बाक़ी विधवा स्त्रियों से उनके एक बार विवाह होजाने के सबब से दूसरी बार क़ायदे के माफिक़ विवाह नहीं होसक्ता, और दूसरी बार के विवाह से उन बिधवा स्त्रियों की हुई संतान अनौरस होती है, तथा उसकी माल मिलकियत के ऊपर वारिस को हक़ नहीं पहुंचता यह प्रकट है इसलिये और क़ानून की यह त्रुटिहै, ऐसा कहते हैं, वह त्रुटि चलती हुई चालसे तो मिलती है पर वह हिन्दू धर्मशास्त्र के शुद्ध अर्थ के प्रमाण से नहीं है, ऐसा अनेक हिन्दुओं का मत है, और जो हिन्दू लोग अपनी बुद्धि के प्रमाण से, उक्तवार्ता के विषय दूसरी चाल निकालने की इच्छा रखते हैं ऐसी बहुत से हिन्दू लोगों की इच्छा है, इसलिये और पूर्वोक्त प्रकार के हिन्दू लोग क़ानून की पूर्वोक्त त्रुटि है, ऐसा कहते हैं, वह दूर करना, यह उचित है, इस लिये, और हिन्दू जाति की विधवा स्त्रियों के विवाह के विषय क़ानूनी त्रुटि हैं, उन सब के दूर करने से सुनीति की वृद्धि होकर लोगों का कल्याण होगा इसलिये नीचे लिखे प्रकार नियम हुआ ।

१ हिन्दुओं में विवाह होते समय कोई मनुष्य मर गया होय, उसके साथ पहिले स्त्री का विवाह हुआ था, इस कारण से फिर से हुआ विवाह क़ानून विरुद्ध

है, तथा उस विवाह से हुई सन्तान अनौरस होती है ऐसा नहीं समझना चाहिये। इस बात के विरुद्ध कोई चाल, अथवा हिन्दू शास्त्र का अर्थ होय, तो पर पूर्वोक्त प्रकार से नहीं समझना चाहिये।

२ किसी बिधवा का निर्वाह करने के लिये अपने मृत पति की माल मिलकियत ऊपर उसका हक़, तथा सम्बन्ध होय तो वह, अथवा अपने पति के वारिसों के सबब से अथवा उस के निकटवर्ती दायादों के वारिसों के सबब से, उस स्त्री का उस माल मिलकियत के ऊपर हक तथा सम्बन्ध होय, वह अथवा वह माल मिलकियत दूसरे के देने के अधिकार के उसे बिना दिये उस मिलकियत का नियत उपयोग मात्र करना, ऐसी मृत्युपत्र किया होय और उस में पुनर्विवाह करने की आज्ञा स्पष्ट न लिखी होय, मृत्युपत्र के द्वारा उस मिलकियत के ऊपर उसका हक़ तथा सम्बन्ध होय, वह सब नष्ट हो जायगा। और जिस प्रकार बन्द अथवा पूरा हो, उस प्रकार उसका पुनर्विवाह हुआ, अर्थात् वह बंद होगा, और पूरा होगा। और उस के मृत पति के निकट का वारिस होय वह अथवा उसी स्त्री के मरने के पीछे जिस दूसरे मनुष्य का हक़ पहुंचता होय, वह मनुष्य उस स्त्री के पुनर्विवाह के पीछे उस माल मिलकियत का वारिस होगा।

३ मृत पुरुष के मृत्युपत्र में उसकी विधवा स्त्री को, अथवा दूसरे किसी मनुष्य को उसके लड़के के पालन करने के लिये स्पष्ट रीति से नियुक्त न किया हो, और उसकी विधवा स्त्री पुनर्विवाह करे तो मृत पति अपने अन्तकाल के समय जिस स्थान पर स्थायी रूप से रहता होय, उस स्थान की दीवानी असल अर्ज़ी लेने का जिस कोर्ट को अधिकार हो, उस के ऊपर की अदालत को, उस लड़के के पालन करने के योग्य मनुष्य नियुक्त करने की अर्ज़ी का अधिकार मृतपति के पिता (बाप) अथवा पितामह (बाप का बाप) अथवा माता (मा) अथवा पितामही (बाप की मा) अथवा मृतपति के हर एक कुटुम्बी को है। इस प्रकार की अर्ज़ी होने के पीछे अदालत की नज़र में आवे तो पूर्वोक्त प्रकार से पालन करने वाले को नियुक्त करने का अधिकार कोर्ट को है। पालन करने वालों को कुछ एक उसकी मा के पास से अपने स्वाधीन लेकर उसकी सँभाल, जब तक वह छोटी उम्र के हों तब तक करने का अधिकार पालन करने वाले को है। और बिना मा बाप के लड़कों के पालन करने के विषय जो क़ायदा वा क़ानून चलित होय, उस प्रमाण से कोई

पूर्वोक्त नियोग करने के समय व्यवस्था करेगा। और ऐसा विधान है कि उस प्रकार का लड़का जब तक छोटी उम्र का हो, तब तक उसके निर्वाह करने तथा उसके योग्य विद्याभ्यास करने के उचित है, उतनी उसकी माल मिलकियत न होय, तो उसकी मा की राज़ी के बिना पूर्वोक्त प्रकार का बन्दोवस्त नहीं करना, पर जो पालन करने वाला बने, वह लड़का जब तक छोटी उम्र का हो, तब तक उसके निर्वाह के लिये तथा उसके योग्य विद्याभ्यास के लिये "ज़ामिनी" दे तो, मा की इच्छा के बिना भी ऐसा बन्दोबस्त करना चाहिये।

४ माल मिलकियत छोड़कर मरने वाले किसी मनुष्य के मरने के समय कोई बिधवा स्त्री सन्तान रहित होय, और सन्तान रहित विधवा होय, इस सबब से उस माल मिलकीयत के एक्ट जारी होनें के पहिले उसके वारिसों का दावा न चले, तो उस सम्पूर्ण माल मिलकियत के ऊपर वा उस माल मिलकियत के कुछ हिस्से के ऊपर उसके वारिसों का दावा इस एक्ट की किसी दफ़े से चलेगा, ऐसा नहीं समझना चाहिये।

५ पिछली तीन दफ़ाओं में जो निश्चय किया है, उसके सिवाय किसी विधवा स्त्री का किसी माल मिल्कियत के ऊपर दावा होगा, तो वह उस के पुनर्विवाह होने के सबब से डूब नहीं जायगा। अथवा दूसरी रीति से उसका हक़ पहुँचता हो, तो वह भी नहीं डूबेगा। और विधवा स्त्री ने पुनर्विवाह किया हो, तो पहिली बार के विवाह से वारिस के विषय उसका जैसा हक़ हो, वैसा ही पुनर्विवाह के होने के पीछे रहेगा।

६ हिन्दू जाति की जिस स्त्री का मूल में ही विवाह न हुआ हो, उस के विवाह के समय जिन शब्दों के उच्चारण करने से अथवा जिस विधि के करने से अथवा जिस क़रार के करने से वह विवाह क़ायदे के अनुकूल हो उन शब्दों के उच्चारण अथवा वह विधि, अथवा वह क़रार हिन्दू जाति की बिधवा के विवाह समय में करने से वह पुनर्विवाह क़ायदे के अनुकूल होता है, ऐसा समझना चाहिये। पूर्वोक्त प्रकार के शब्द अथवा विधि, अथवा क़रार बिधवा से नहीं लगते, इस सबब से उसका विवाह क़ायदा विरुद्ध होता है, ऐसा समझना चाहिये।

७ पुनर्विवाह करने वाली बिधवा स्त्री छोटी उम्र की हो, और अपने बर के साथ समागम नहीं हुआ, तो वह स्त्री, अपने पिता के अथवा पिता नहीं होय

तो अपने पितामह के अथवा पितामह नहीं होय, तो अपनी माता के, अथवा इन में से कोई न हो तो अपने बड़े भाई के अथवा भाई भी न होय तो उसके निकटवर्ती कुटुम्बी हो उसकी आज्ञा के बिना पुनर्विवाह न करे। इस दफ़ाके नियमके विरुद्ध विवाहके करने के काम में जो जानबूझ कर सहायता करेंगे वह सब लोग ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष तक क़ैद अथवा दण्ड अथवा दोनों की शिक्षा के योग्य होगा। और इस दफ़ा के विरुद्ध हुआ विवाह "नाजायज़" है इसके विचार करने का अधिकार इंसाफ़ की कोर्ट को है। पर यह नियम है कि इस दफ़ा के नियम के विरुद्ध हुए विवाह के "जायज़" होने के विषय तकरार पड़े, तो पूर्वोक्त प्रकार की आज्ञा नहीं ली यह साबित हो, तब तक पूर्वोक्त प्रकार की आज्ञा ली ऐसा समझना चाहिये। और पूर्वोक्त प्रकार के विवाह होने के बाद वर के साथ समागम हुआ इससे विवाह "नाजायज़" है ऐसा नहीं समझना चाहिये। विधवा स्त्री बड़ी उम्र की हो अथवा उसका वर के साथ समागम हुआ हो तो उसका पुनर्विवाह रीति मत, तथा आधार युक्त होने के विषय उसको अपनी अनुमति यथेष्ट है।

(खरा तर्जुमा)
बिनायक वासुदेव
सरकार का पूर्व देशी भाषाओं का
तर्जुमा करनेवाला (१)

(१) यह एक्ट गुजरात की प्रसिद्ध सभा 'गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी के छपाये हुए गुजराती 'पुनर्विवाह निंबध' से हिन्दी अनुवाद किया गया है।

——०——

उपसंहार ।

बिधवा विवाह के विषय यथा शक्ति पहिले तीन खण्डों में लिखा गया अब इस के प्रचार अथवा अप्रचार का भार हमारी समाज वालों के ऊपर है। यदि पण्डितों से पूछा जायगा, तो (सिवाय थोड़े लोगों के) इसका निषेध करेंगे क्योंकि विधवाओं के विवाह होने से उनकी बड़ी भारी जीविका मारी जायगी। अब तक जो विधवा स्त्रियां होती हैं, वह अपना मालमता अनेक प्रकार कथा, उद्यापन आदि से पण्डितों को देती हैं, फिर नहीं देंगी। गुरु गुसांइयों से पूंछा जायगा, तो वह भी निषेध करेंगे, कारण यह कि फिर उन्हें कौन "तन मन धन समर्पण" करेगा ? यदि व्यभि चारी लोगों से पूछा जायगा, तो वह भी बुरा बतलावेंगे, क्योंकि यदि विधवाओं का विवाह होजायगा, तो फिर उनके व्यभिचार का मार्ग बन्द होजायग। इस की व्यथा तो उन बिचारी बिधवा बालिकाओं से पूंछना चाहिये, जिन के ऊपर यह "अनभ्रवज्र पात" हुआ है "जाके पांव न फटी बिवाई सो कहा जाने पीर पराई"। या उनसे पूंछिये, जिनके घर में कोई लड़की विधवा हुई हो, तब कैसा प्रलय काण्ड उपस्थित होता है। एक ओर घर वालों का छाती पीट पीट कर रोना, दूसरी ओर मृतक के शरीर पर माता पिता की पछाड़ें खाना, तीसरी ओर विधवा बालिका के कोमल हृदय, और कची आंखों से अश्रुओं का प्रवाह पड़ना और उसके अंगों के आभूषण उतरना, और उसके बाल खोल कर पागल दीवानों की शकल बनाना और "हाय ! हाय !" कर के स्त्रियों का सिरपीटना, क्या यह करुणा का हृदय राक्षस को भी रूलाने वाला नहीं है ?

और क्या इस के विपक्ष लोग इस दुःख को धूर्त्तता से निर्मूल करना चाहते हैं ? बहुत स्थानों में तो ऐसा हुआ है कि जब बाल बिधवा की चूड़ी बिछुआ नथ उतारे गये, तो रोरो कर कहती है कि " अरे ! यह क्या करते हो ? " क्यों मुझे नङ्गी किये देते हो ? हा ! इस बालिका के ऊपर इतनी "नृशंसता" करना मनुष्य का काम नहीं है, पिशाच की तो हम कहते नहीं। विधवाओं को काम पीड़ा के सिवाय खाने

का सुख नहो, वंग आदि देशों में तो व्रतों के मारे बिधवा का प्राणनाश सम्भव है बालक अवस्था में एकादशी का निर्जल व्रत ! खाने को दूध आदि उत्तम चीज़ें नहीं मिलतीं ! पहरने को सफ़ेद कपड़े के सिवाय दूसरा कपड़ा नहीं ! माथा मुड़ा हुआ ! हाथ सोंटे से ख़ाली ! नाक कान में कुछ नहीं। बिधवा क्या वह तो जेल के क़ैदियों वा योगियों से अधिक काष्टा करतीं हैं। इनके दुःख के साथ दुःख करना, इनके अश्रुओं के साथ अश्रु बहाना, इनकी व्यथा को अपनी व्यथा समझना, प्रत्येक दयालु सुशिक्षित मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, तिस में भी हम सम्पूर्ण हिन्दू लोगों का अवश्य कर्त्तव्य है, जब इंगलेंड अमेरिका तक के निवासियों ने हिन्दू बिधवाओं से सहानुभूति करके उनकी सहायता के लिये चन्दा दिया है तब क्या भारतवर्ष के निवासी इन सातलक्ष बाल बिधवाओं के शोकाश्रुमार्जन न करेंगे ? हे भारतवासी महाशयो ! हे दयासागर हिन्दू सागर हिन्दू सन्तानों ! हे जीवरक्षा परायण आर्य्य बांधवो ! अपनी महादुःखित जीवनमृतक, असहाय, दीन, हीन, बाल बिधवा बहनों के दुःख मोचन करो , वीर पुरुषों का नाम पुरुषार्थ करने का, कपड़े में सिर ढांक कर रोने का नहीं है , लोक लज्जा, और अपवाद के कन्टकों को पद दलित करके इनको दुःख कूप में से उद्धार करो। गौरक्षा में जैसा तुम्हारा इस समय उद्योग है इन गौओं के बचाने की भी चेष्टा करो। उनकी अपेक्षा इनका कुछ तुमसे अधिक सम्बन्ध है। यदि तुम्हारे हृदय पर इनकी व्यथा कुछ असर करे, यदि बिधवाओं के अश्रु तुम्हें खेद देने वाले हों यदि इनके उष्ण श्वास तुम्हारे हृदयको प्रज्वलित करने वाले हों तो अब विलम्बका समय नहीं बिधवाओंको अभय दानदीजिये, उनका आशीर्वाद लीजिये और इस परम पुण्य का अनुष्ठान कीजिये।

सर्वशक्तिमान करुणा वरुणालय जगदीश्वर भारतवर्ष की विधवाओं का कल्याण करे।

ग्रन्थकार की पुस्तक ।

विदेशयात्रा विचार (विलायत यात्रा का शास्त्रार्थ)	।)
बिधवा विवाह विवरण (बिधवा बिबाह पर विचार)	॥)
शिक्षासार (लुकमान हकीम की शिक्षा)	-)
नव भक्तमाल (भक्तमाल के भक्तों की कथा)	।)
शृंगार तिलक (कालिदास की कविता की भाषा)	-)
श्री गोपिका गीत (भाषा प्रेम की पराकाष्ठा)	-)।
भङ्ग तरङ्ग (प्रहसन)	=)
तन-मन-धन श्री गुसांईजी के अर्पण (प्रहसन)	-)
सती चन्द्रावली (ऐतिहासिक नाटिका)	=)
बूढ़े मुंह मुंहासे (प्रहसन)	≡)
अमरसिंह राठौर (बीर रस)	।)
जावित्री (उपन्यास)	=)
विरजा (उपन्यास)	।)
सौदामिनी (उपन्यास)	=)
यमलोक की यात्रा (हास्य)	=)
नापित स्तोत्र ,,	-)
रेलवे स्तोत्र ,,	-)
श्री चैतन्यचरितामृत आदि खंड (हिन्दी)	।)

श्रीगौरचरण गोस्वामी कृत ।

विचित्र जाल	-)
चोरी है कि दग़ाबाज़ी	-)
भूषण दूषण	)॥
श्रीगौराङ्ग जीवनी	≡)
अभिमन्युबध (नाटक)	=)

मैनेजर-

श्रीनित्याई गौरबन्धु

श्रीवृन्दावन ।